

ग्रामीण विकास योजनाएं (एक मार्गदर्शिका)



हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी

फोन नं: 01745-245649 ईमेल: hirdnlk@gmail.com

वैबसाईट: www.hirdnilokheri.com



पंचायतेँ जितनी अधिक शक्तिशाली होंगी, उतना ही
लोगों का भला होगा।

-महात्मा गांधी

नवराज सन्धू, भा.प्र.से.

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग



संदेश

भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है। गांवों के विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्यतः गांव का आर्थिक, सामाजिक व ढांचागत विकास करना है ताकि गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

मुझे खुशी है कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के प्रयोग हेतु इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें गांव में लागू की जा रही लगभग सभी प्रकार की योजनाओं की सारांश में जानकारी दी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि यह पुस्तक ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी।

(नवराज सन्धू)

प्रस्तावना

देश के समुचित विकास के लिए ग्रामीण विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गांवों में विकास कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को इन विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों बारे जानकारी दी जाए ताकि वे इन्हें अच्छी प्रकार से लागू कर सकें।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तक में विभिन्न विभागों तथा बैंकों द्वारा ग्रामीण ढांचागत विकास से सम्बन्धित, कृषि, पशुपालन, वानिकी, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं आपूर्ति एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित योजनाओं का सारांश विवरण दिया गया है जिससे कि इन योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे।

इस पुस्तक के लिखने में अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, श्री ए.के. मीणा, आईएएस, निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा का मार्गदर्शन संस्थान को मिलता रहा जिनके लिए हम उनके अति आभारी हैं। पुस्तक में किसी भी प्रकार की कमी का उत्तरदायित्व केवल संस्थान का है। मुझे आशा है कि पुस्तिका में दी गई जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों बारे जानकारी प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

(डा. पूर्ण सिंह)

निदेशक

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ-संख्या
1.	बैंक एवं सुरक्षा बीमा	5-10
2	विकास एवं पंचायत विभाग	11-15
3	कृषि विभाग	16-19
4	बागवानी	20-23
5	पशुपालन एवं डेयरी	24-25
6	मत्स्य पालन	26-28
7	वन विभाग	29
8	सामुदायिक वानिकी	30
9	महिला एवं बाल विकास	31-37
10	स्वास्थ्य विभाग	38-44
11	शिक्षा विभाग	45-47
12	अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण	48-49
13	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	50-52
14	खाद्य एवं आपूर्ति	53-54
15	ड्राइविंग लाइसेन्स बनाने व गाडियों का रजिस्ट्रेशन	55-56
16	जमीन सम्बन्धी ई- रजिस्ट्रेशन	57
17	पुलिस विभाग	58
18	कानूनी सेवाएं	59-60
19	मुख्यमंत्री खिड़की (सीएम विन्डो)	61
20	पर्यावरण संरक्षण	62-64
21	आपदा नियन्त्रण	65

बैंक एवं सुरक्षा बीमा

क) बैंक योजनाएं

बैंकों की विभिन्न योजनाएं समाज के हर वर्ग को बैंक में बचत खाता और ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं। ये विभिन्न योजनाएं अलग-अलग बैंकों में विभिन्न नामों से प्रचलित हैं। सरकार द्वारा लोगों के कल्याण और युवाओं के रोजगार विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:

1. **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** : यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई। इस योजना का क्रियान्वत अभियान के तौर पर किया गया। इस परियोजना का लक्ष्य देश के सभी परिवारों को दो चरणों में 6 स्तम्भ दृष्टिकोण द्वारा लाभ पहुंचाना है। इस योजना के 6 स्तम्भ निम्न हैं:

- i. सर्वजन के लिए बैंक की सुविधा:- हर जिले को उप सेवा क्षेत्र में चिन्हित करना, ताकि लोगों को उचित वित्तीय सेवाएं और उचित दूरी पर उपलब्ध करवाया जाना (5 कि. मीटर के दायरे में)
- ii. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:- जिलों के विभिन्न खण्डों में वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले गए हैं।
- iii. बुनियादी बैंकिंग सुविधा: 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपये डेबिट कार्ड, एक लाख तक की दुर्घटना बीमा की सुविधा।
- iv. परिवार का मुखिया विशेषतः महिलाएं, 5000 रुपये बिना किसी प्रतिभूमि के सुरक्षा किसी भी जरूरत के लिए ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं।
- v. क्रेडिट ऋण गारंटी कार्ड बनाना:-यह कार्ड खाते में ओवरड्राफ्ट की चूक या अभाव के लिए बनाया जाएगा।
- vi. सूक्ष्म बीमा 14 अगस्त 2018 तक और उसके बाद आधार पर।
अधिक जानकारी के लिए देखें www.pmjdy.gov.in/

2. **बैंकिंग मित्र/बैंकिंग संवाददाता एजेंट**:- ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां बैंक की शाखाएं बैंक से दूर हैं और जहां लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंको द्वारा बैंक मित्र नियुक्त किए जाते हैं। बैंकिंग मित्र/बैंकिंग संवाददाता एजेंट बैंको के प्रतिनिधि होते हैं। वे ग्रामीणों को बैंक खाता खोलने, उनका चलाने और बचत करने के बारे में जागरूकता प्रदान करने में मदद करते हैं। बैंकिंग मित्र/बैंकिंग संवाददाता एजेंट नियुक्त करने में उस गांव में जहां ये सुविधा उपलब्ध करानी है, वहां के स्थानीय युवाओं को या

आस-पास के युवाओं को दी जाती है। इसके द्वारा प्राथमिकता ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.jandhanyojana.net/

3. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:-** मुद्रा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई। इसका लक्ष्य निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े अति लघु उद्योगों को ऋण देना है, जो हो। यह विशेष तौर पर उन गैर कृषि उद्यमों को जिनकी जरूरत दस लाख से नीचे हो को ऋण प्रदान करती है। इसमें तीन योजनाएं हैं-

- i. शिशु : रूपये 50,000 तक का ऋण
- ii. किशोर : रूपये 50,000 से 5,00,000 तक का ऋण
- iii. तरुण : रूपये 5,00,000 से 10,00,000 तक का ऋण

ऊपर दिए गए ऋण बिना किसी प्रतिभूति सुरक्षा के प्रदान किए जाते हैं। ये योजनाएं युवाओं को अपना खुद का उद्यम शुरू करने और दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करती हैं।

मुद्रा बैंक की मुख्य विशेषताएं -आज 5.77 करोड़ छोटे व्यापार इकाइयों के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से अधिकांश व्यापार इकाइयां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों द्वारा संचालित हैं। ऐसी केवल 4% इकाइयों को संस्थागत वित्तीय सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अर्न्तगत स्थापित मुद्रा बैंक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. मुद्रा बैंक सभी लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) को विनियमित करेगा और उन्हें पुनः वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
2. मुद्रा बैंक राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर छोटे/लघु व्यावसायिक उद्यमों के अन्तिम चरण वित्तपोषक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
3. मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमों के लिए अन्तिम चरण तक वित्तीय सहायता का एक अच्छा ढांचा तैयार करेगा।

ख) बीमा योजनाएं

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं जो नियमानुसार हैं:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, द्वारा शुरू की गयी योजना है, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016, को केन्द्रीय मंत्रीपरिषद् ने अपनी

मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।

यह योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रख कर बनायी गयी है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

किसानों के त्योहार लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, पोंगल, बिहू के शुभ अवसर पर भारतीय किसानों के लिये उपहार है। किसानों के कल्याण के लिए इस फसल बीमा योजना में शामिल किये गये मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम/किस्तों/दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।
- इस योजना को आने वाले खरीफ फसलों के मौसम से शुरू किया जायेगा।
- इसके अर्न्तगत सभी प्रकार की फसलों (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है।
- खरीफ (धान या चावल, मक्का ज्वार बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- रबी (गेंहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जायेगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर-बराबर बाँटा जायेगा।

- ये योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) का स्थान लेती है।
- इसकी प्रीमियम दर एन. ए. आई. एस. और एम. एन. ए. आई. एस. दोनों योजनाओं से बहुत कम है साथ ही इन दोनों योजनाओं की तुलना में पूरी बीमा राशि को कवर करती है।
- इससे पहले की योजनाओं में प्रीमियम दर को ढकने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिये भुगतान के कम दावे पेश किये जाते थे। ये कैपिंग सरकारी सब्सिडी प्रीमियम के खर्च को सीमित करने के लिये थी, जिसे अब हटा दिया गया है और किसान को बिना किसी कमी के दावा की गयी राशि के खिलाफ पूरा दावा मिल जायेगा।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अर्न्तगत तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जायेगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाइल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में तुरंत आंकलन कर सकता है।
- ये योजना सभी प्रकार की फसलों के प्रीमियम को निर्धारित करते हुये सभी प्रकार की फसलों के लिये बीमा योजना को लागू करती है।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अर्न्तगत आने वाले 3 सालों के अर्न्तगत सरकार द्वारा 8,800 करोड़ खर्च करने के साथ ही 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे; आग लगना, चोरी होना, संध लगना आदि को इस योजना के अर्न्तगत शामिल नहीं किया जाता है।
- प्रीमियम की दरों में एकरूपता लाने के लिये, भारत में सभी जिलों को समूहों में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जायेगा। ये नयी फसल बीमा योजना “एक राष्ट्र एक योजना” विषय पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाईयों को धारण करते हुये उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करता है। अधिक जानकारी के लिए देखें <http://www.pradhanmantriyojana.co.in/>

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:

सभी 18 से 70 वर्ष की आयु वाले बैंक खाता धारक इस योजना हेतु पात्र हैं। दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2,00,000 रूपये की राशि व आंशिक विकलांगता पर 1,00,000 रूपये की राशि मिल जाती है। 12 रूपये सालाना बीमा किस्त जमा करानी होती है। अधिक जानकारी के लिए देखें <http://www.pradhanmantriyojana.co.in/>

3. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:

सभी 18 से 50 वर्ष की आयु वाले बैंक खाता धारक इस योजना हेतु पात्र हैं और 55 वर्ष तक बीमा लाभ मिलता है अगर बीमा किस्त 50 वर्ष के बाद भी भरी जाए। किसी भी कारण से

मृत्यु पर 2,00,000 रूपये की बीमा राशि का भुगतान। वार्षिक बीमा किस्त 330 रूपये अदा करनी होती है। अधिक जानकारी के लिए देखें <http://www.pradhanmantriyojana.co.in/>

4. अटल पेंशन योजना:

सभी नागरिक जो असंगठित क्षेत्रों से सम्बन्धित हो इसके तहत पात्र हैं। इस योजना में केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता के अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000 रूपये प्रति वर्ष जो भी कम हो 5 साल के लिए देगी। उपभोक्ता को निश्चित राशि 1000 रूपये प्रति माह, 2000 रूपये प्रति माह, 3000 रूपये प्रति माह, 4000 रूपये प्रति माह, 5000 रूपये प्रति माह की पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद उसके अंशदान और उसकी इस योजना से जुड़ने की आयु, बैंको की तालिका के अनुसार दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए www.jansuraksha.gov.in/ www.financialservices.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में आरम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को 30/- रुपये में 30000/- रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। जिसके तहत चयनित बीमा कम्पनी द्वारा सभी ब्लॉकों के तहत आने वाले गांवों एवं शहरों के वार्डों में जाकर स्मार्ट कार्ड बनाये जाते हैं। जो कि जिले में चयनित इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा चयनित अस्पतालों में भर्ती होने की अवस्था में दिया जाता है।

विस्तार:- इस स्कीम के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के साथ-साथ बिल्डिंग कामगार, फेरी वाले, आंगनबाडी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।

इस योजना की लाभ/विशेषताएं निम्नलिखित हैं

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के मुखिया सहित पांच सदस्यों को सालाना 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है।
- सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए मातृत्व लाभ को इस योजना में शामिल किया गया है।
- बीमित माता से जन्में नवजात शिशु को जन्म से बीमा पोलिसी की अवधि तक स्वतः बीमा सुरक्षा उपलब्ध है चाहे कुल सदस्यों की संख्या 5 से अधिक हो।
- बीमा योजना का लाभ चयनित बीमा कम्पनी के माध्यम से दिया जाएगा।
- बीमा कम्पनी गांव-गांव/वार्डों में जाकर बीपीएल परिवार के मुखिया एवं सदस्यों का फोटो खींचकर उन्हें एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगी।
- इस के लिए प्रत्येक बीपीएल परिवार को 30 रुपए का भुगतान बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को करना होगा।

- बीमा कम्पनी द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करने पर सालाना 30,000 रुपए तक का इलाज खर्च बीमा कम्पनी द्वारा अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा।
- मरीजों का अस्पताल तक आने जाने के लिए प्रति दौरा 100/- रुपए अधिकतम सालाना 1,000 रुपए का भुगतान अस्पताल द्वारा भर्ती होने पर छुट्टी के दौरान किया जाएगा।
- मरीजों के ईलाज के लिए अस्पताल को किए गए भुगतान का सभी विवरण स्मार्ट कार्ड में अंकित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.rsby.gov.in/

विकास एवं पंचायत विभाग

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु निम्नानुसार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं:

स्वर्णजयन्ती महा ग्राम विकास योजना

स्वर्णजयन्ती महा ग्राम विकास योजना वर्ष 2016-17 से आरम्भ की जा रही है। इस योजना के तहत उन गावों को जिनकी जनसंख्या 10000 या उससे अधिक है शहरी तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10000 से अधिक आबादी के 116 गांव हैं। इस योजना के तहत शहरों की तरह पक्की गलियां, सीवरेज तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं पैदा की जाएंगी। इसका उद्देश्य गावों की आबादी का शहरों की तरफ पलायन को रोकना है। इस योजना के तहत ऐसे गावों को विकास का केन्द्र बिन्दु (Hub) बनाना है तथा संसाधन मानचित्रिकरण (Resource Mapping) तथा भेद-विश्लेषण (Gap Analysis) द्वारा सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से इन्हें विकास के माडल के रूप में विकसित करना है।

स्वर्णजयन्ती ग्रामीण विकास निधि योजना

हरियाणा सरकार द्वारा स्वर्णजयन्ती ग्रामीण विकास निधि एक नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत प्रत्येक गांव को जनसंख्या के आधार पर विकास कार्यों हेतु प्रति वर्ष एक निश्चित उपलब्ध कराई जायेगी।

ग्राम सचिवालय

सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में आई.टी. युक्त 'ग्राम सचिवालय' की स्थापना की एक नई स्कीम शुरू की गई है। स्कीम के अनुसार कई विभागों के ग्राम स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी इस सचिवालय में बैठेंगे ताकि लोगों के सभी सरकारी कार्य एक ही कैम्पस में हो सके। ग्राम सचिवालय में सरपंच के लिए कमरा, पंचों के लिए कमरा, ग्राम सचिव हेतु कमरा, ग्राम पंचायत की मिटिंग व ग्राम सभा मिटिंग के लिए एक हाल, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। इस सचिवालय में आवश्यक सुविधाएं तथा बैंक हेतु भी व्यवस्था की जायेगी। सभी पंचायतों को एजेंडा सहित एक वर्ष में कम से कम चार बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करने के आदेश दिए गए हैं।

ई - पंचायत

विकास और पंचायत विभाग पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई-पंचायत शुरू की है, जो राष्ट्रीय ई शासन योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है। ई-पंचायत परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है ताकि वह अपनी अन्य विस्तृत जिम्मेदारियों के ईलावा, नागरिकों, सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से सेवाएं प्रदान कर सकें।

ई-पंचायत आधुनिकता और दक्षता के प्रतीक के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में क्रांतिकारी बदलाव और बड़े पैमाने पर सूचना और संचार प्रौद्योगिक संस्कृति को प्रेरित करने की क्षमता रखता है।

स्कीम फार असिस्टेंस टु एचआरडीए

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पैटर्न पर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। प्राधिकरण गठित करने का उद्देश्य गावों के लोगों को शहरी पद्धति पर आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है। इस स्कीम का उद्देश्य हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम में उपलब्ध राशि से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत मूलभूत सुविधायें (जैसे गलियां/नालियां आदि) उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रियदर्शनी आवास योजना १५००वाई०१/२

यह योजना एचआरडीए के तहत कवर होती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्ग के लिए घर का मालिक बनने का सपना पूरा करने के लिए 'इन्दिरा आवास योजना' की तर्ज पर घर और शौचालय की सुविधा के निर्माण के लिए 93,000 रूपये की राशि हर गरीब परिवार को दी जा रही है।

ग्रवित-ग्रामीण विकास के लिए तरूण

ग्रामीण क्षेत्रों में नई 'ग्रवित'- 'ग्रामीण विकास तरूण' नामक स्कीम से सकारात्मक सामाजिक व आर्थिक बदलाव हेतु स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर जिला झज्जर में 12 जनवरी, 2015 को योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को स्वयंसेवी बनना तथा गांव में परिवर्तन लाने के लिए अन्य ग्रामीणों को प्रेरित करने का लक्ष्य है। स्कीम हेतु जिला

स्तर खण्ड स्तर तथा कलस्टर स्तर का स्टाफ के पद स्वीकृत करवाये जाने है जिसके लिए मामला वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया हुआ है।

स्वच्छता मे सुधार हेतू ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता स्कीम

इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 2001 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार गावों में साफ-सफाई रखने हेतु सफाई कर्मी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पंचायतों द्वारा गावों में 1000 की आबादी तक एक सफाई कर्मी, 2000 की आबादी तक 2 सफाई कर्मी, 5000 की आबादी तक 4 सफाई कर्मी तथा 5000 से उपर की आबादी तक 6 सफाई कर्मी रखे जा सकते हैं। एक सफाई कर्मी को 8100/- रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़े श्रेणी (क) एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्गज के आवासीय प्लॉट मुफ्त अलाट किए जा रहे है। जिस भूमि पर प्लॉट आंबटित किये जाने है। वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एवं पक्की गलियां एवं नालियां विकसित की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 3.83 लाख परिवारों को उपहारनामा के माध्यम से स्वामित्व का अधिकार 30.11.2014 तक प्रदान किया जा चुका है। जिन ग्राम पंचायतों में शामिल भूमि उपलब्ध है, उनमें शेष पात्र परिवारों को प्लॉट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गावों जिनमें प्लॉट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एवं नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिला कर किया जाएगा। सरकार का इन बस्तियों में पानी की पाईपलाइन और बिजली की लाईनों को बिछाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का इरादा है।

राजस्व आय योजना के अन्तर्गत पंचायत/पंचायत समितियों को वित्तीय सहायता स्कीम

यह स्कीम पंचायत एवं पंचायत समितियों ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आय के साधन को विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 1957-58 से शुरू की गई थी। स्कीम के तहत पंचायत/पंचायत समितियों को ट्यूबवैल लगवाने, दुकानों के निर्माण करने या स्टाफ हेतु रिहायशी मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यह ऋण 30 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता है।

मैचिंग ग्रांट स्कीम

यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा करने के लिए वर्ष 1979-80 से लागू की गई थी। इस स्कीम के तहत स्कूल भवन, पशु औषाधालय, हस्पताल, मनोरंजन केन्द्र, महिला मण्डल, अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति चौपालों के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए पंचायत/पंचायत समिति व पब्लिक (पी0डब्लू0डी0) भवन एवं सड़कें एवं स्थानीय समितियों के माध्यम से रिलीज की जाती है। इस स्कीम के तहत पब्लिक अंशदान के रूप में जमा करवाई गई राशि के बराबर की राशि सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट के रूप में दी जाती है सिवाए कन्या पाठशाला, महिला कालेजों और छात्रवासों के लिए जहां पब्लिक द्वारा जमा करवाई गई अंशदान की राशि से दो गुणा राशि अनुदान की उपलब्ध करवाई जाती है। इससे लोगों की भागीदारी का हिस्सा बढ़ता है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण जनता द्वारा स्वयं किसी प्रोजैक्ट की पहचान करने हेतु पब्लिक द्वारा अंशदान इकट्ठा करके प्रोजैक्टर का परिचालन कराया जाता है। जनता की ओर से इस स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पान्स मिला है। जिस कारण स्कीम को लोकप्रियता प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को प्रोत्साहन देने बारे

सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली ग्राम पंचायतों को सामाजिक सामंजस्य व गांव में एकता का वातावरण बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए जिससे आपसी झगड़े तथा चुनाव खर्च में सहायता मिलेगी। प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार दी जानी है:-

जिन ग्राम पंचायतों में सम्पूर्ण ग्राम पंचायत का चुनाव सर्वसम्मति से होगा।	11,00,000
जिन ग्राम पंचायतों में केवल सरपंच का चुनाव सर्वसम्मति से होगा।	5,00,00
जिन ग्राम पंचायतों में केवल पंच का चुनाव सर्वसम्मति से होगा। (प्रति पंच के हिसाब से)	50,000
प्रत्येक जिला परिषद सदस्य जो सर्वसम्मति से चुना जायेगा।	5,00,000
प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य जो सर्वसम्मति से चुना जायेगा।	2,00,000

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड की गतिविधियां

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 1987 में किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत मण्डियों में लाई जाने वाली कृषि उपज की खरीद व बेच पर 2 प्रतिशत विकास फीस ली जाती है। इस

अधिनियम की धारा 6(5) में किये गये प्रावधान के अनुसार वसूल की गई ग्रामीण विकास फीस की राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों गावों की सडकों के विकास, चिकित्सालयों की स्थापना, जल सप्लाई, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रबन्ध करने, खेती मजदूरो के कल्याण, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित ग्रामीण क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले अधिसूचित मंडी क्षेत्रों को उनमें तकनीकी जानकारी का उपयोग करके और अन्य आवश्यक सुधार लाकर आर्दश मंडी क्षेत्रों में परिवर्तित करके, ब्रिकी/खरीद के लिए मंडी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज के लिए गोदामों तथा भण्डार करने के अन्य स्थानों के निर्माण तथा मंडी क्षेत्र के आने वाले व्यक्तियों (विक्रेताओं तथा खरीदारों दोनो) के ठहरने को सुखद बनाने के लिए, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो बोर्ड द्वारा फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति के हित में तथा उसके फायदे के लिए समझा जाये। आधुनिक सुख सुविधाओं से सज्जित विश्रामगृहों के निर्माण के बारे में हुए खर्च को पूरा करने में किया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.harpanchayats.gov.in/

कृषि विभाग

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी कृषि आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। गांव में अधिकतर लोग कृषि मजदूरी एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। किसानों के उत्थान, कम लागत पर प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने व किसान का शुद्ध मुनाफा बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो निम्न प्रकार से हैं:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

इस स्कीम के तहत मुख्य फसलें जैसे गेहूँ, धान की पैदावार व शुद्ध मुनाफा बढ़ाने के लिए उक्त फसलों के प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिया जाता है व धान की फसल की लागत कम करने व भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने के लिए धान की सीधी बिजई पर 3000/- रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा अनुदान पर कृषि यन्त्र भी दिये जाते हैं जिससे किसान की पैदावार बढ़ सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

इस स्कीम के अन्तर्गत अनाज व दलहन फसलों को बढ़ाने के लिए किसानों को 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यन्त्र, बीज खाद व दवाईयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम 60 प्रतिशत अनुदान पर दी जा रही है तथा अनुदान पर कृषि यन्त्र भी दिये जाते हैं।

कृषि विविधकरण कार्यक्रम (CDP):

इस स्कीम के अन्तर्गत भूमि की उर्वरा शक्ति व भूमिगत जल के दोहन को कम करने के लिए तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए मक्का की फसल का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अनुदान पर किसानों की भूमि को लैजर लेवलर समतल करवाया जाता है। जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ पानी की बचत भी होती है इसके अतिरिक्त स्कीम में किसानों को कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दिया जाता है। पोपलर की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोपलर के पौधे व उनकी देख-रेख हेतु कीटनाशक इवाईयां भी निशुल्क दी जाती हैं। पोपलर में मिश्रित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तीन

साल तक की आयु के पोपलर के खेतों में गेहूं का बीज खाद व दवाईयां आदि निशुल्क प्रदान की जाती हैं। जिससे किसान की अतिरिक्त आमदनी हो सके।

राष्ट्रीय तिलहन बीज विकास मिशन (NMOS)

इस स्कीम के तहत तिलहन वाली फसलें जैसे सरसों व सूरजमुखी को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज मिनिक्विट के रूप में उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के खेतों पर प्रदर्शन प्लाट लगाये जाते हैं। अधिक से अधिक नवीनतम तकनीकी ज्ञान किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान खेत स्कूलों का आयोजन किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत किसानों को अनुदान पर कृषि यन्त्र भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

त्वरित खाद्य विकास कार्यक्रम (AFDP)

चारा फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को चारा फसलों के उन्नत किस्मों के बीज निशुल्क व अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते हैं व भूमि की संरचना ठीक रखने के लिए जिप्सम भी अनुदान पर दी जाती है। जिसमें चारे की गुणवत्ता बढ़ती है।

कृषि तकनीकी प्रबन्ध एजेंसी (ATMA)

इस स्कीम के अन्तर्गत क्षेत्र के किसानों की आवश्यकतानुसार विभिन्न फसलों पर प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन किया जाता है व किसानों का कृषि तकनीक ज्ञान बढ़ाने के लिए किसान गोष्ठी, फार्म स्कूल, प्रशिक्षण कैम्प व किसान भ्रमण करवाये जाते हैं। जिला व ब्लॉक स्तर पर किसान मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें क्षेत्र के किसानों को नवीनतम जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है व प्रदर्शनी के माध्यम से कृषि सम्बन्धी सभी सामग्रियों का प्रदर्शन किया जाता है।

बायो/गोबर गैस संयंत्र :

बायो/गोबर गैस प्लान्ट लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा प्रति गौबर गैस प्लान्ट पर 9000/-₹0 से 10200/-₹0 तक का अनुदान दिया जाता है। गोबर गैस से उर्जा की बचत के साथ-2 अच्छी किस्म की गौबर की खाद प्राप्त होती है। जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है तथा भूमि की संरचना ठीक होती है। जिससे भूमि का पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है व वायु का भूमि में आवागमन ठीक होने से पैदावार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

सुरक्षित अनाज भण्डारण स्कीम

इस स्कीम के तहत अनाज को सुरक्षित रखने के लिए टंकिया (मैटालिक बिन) सामान्य श्रेणी को 50 प्रतिशत व अनुसूचित श्रेणी को 75 प्रतिशत अनुदान पर दी जाती है।

खाद, बीज दवाई:

किसानों को शुद्ध व अच्छी किस्म के खाद बीज, दवाई उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग द्वारा उक्त सामग्री की गुणवता जांच के लिए समय-समय पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नमूने लिए जाते हैं व दुकानों का मौका निरीक्षण किया जाता रहता है।

भूमि जल परीक्षण:

कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी किसानों के भूमि व जल के नमूनों का निशुल्क परीक्षण के आधार पर भूमि स्वस्थ कार्ड तैयार किए जाते हैं जिससे किसान फसल की आवश्यकतानुसार उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि पैदावार को बढ़ा सकें।

भूमि सुधार एवं जल संरक्षण:

बंजर, बेकार व कम उपजाऊ जमीनों के लिए अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध करवाई जाती है तथा पानी के बचाव के लिए किसानों की भूमि समतल करवाई जाती है व भूमिगत पाईप लाईन, फव्वारा सिंचाई एवं टपका सिंचाई विधि पर अनुदान दिया जाता है।

गन्ना विकास प्रबन्धन:

इस स्कीम के तहत गन्ने की फसल को बढ़ावा देने व प्रति एकड़ अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज पर अनुदान दिया जाता है व निशुल्क बीज उपचार किया जाता है। गन्ने की नवीनतम तकनीकी जानकारी देने के लिए किसानों के खेतों पर गड्डा विधि के प्रदर्शन प्लॉट मिट्टी चढ़ाना, गन्ना बंधाई, मुढा प्रबन्धन व उर्वरकों के उचित प्रयोग बारे किसान खेत स्कूलों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। गन्ना किसान अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें इसके लिए गन्ने की फसल में मिश्रित खेती जैसे गेहूं, चना, सरसों, प्याज, खरबूजा, आदि फसल लेने के लिए किसानों को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

पंचायतों की भूमिका

कृषि विकास हेतु ग्राम पंचायतों का यह कर्तव्य बनता है कि वह गांव में कृषि विकास की योजना तैयार करे। अच्छी किस्म के खाद, बीज व किटनाशकों बारे विभाग से सम्पर्क में रहे।

पंचायत यह भी कर सकती है कि कृषि विविधिकरण द्वारा किसानों की आमदनी में वृद्धि करने बारे प्रयासरत रहे। प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर उप-निदेशक, कृषि का कार्यालय स्थापित है जिसमें कुछ उपमण्डल अधिकारी व विषय विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं। खण्ड स्तर पर खण्ड कृषि विकास अधिकारी एवं ग्राम स्तर पर कुछ गावों के समूह पर एक कृषि विकास अधिकारी भी नियुक्त होता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी व जल परीक्षण हेतु भी जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें <http://agriharyana.nic.in/>

बागवानी विभाग

बागवानी कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है। आज के युग की आवश्यकताओं के अनुसार कृषि के विविधिकरण पर बल दिया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो तथा उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो। इसके साथ-साथ भूमि एवं जल के संरक्षण हेतु भी बागवानी का महत्व बढ़ जाता है। बागवानी विभाग द्वारा गावों में फलों, फूलों व सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु बागवानी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जा रही हैं।

नए बागों की स्थापना

इस मद में अमरूद के नये बाग स्थापित करने के लिए किसानों को 19150/- रू. प्रति हैक्टेयर की दर से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह राशि रोपण सामग्री पर खर्च होने वाले पोषक तत्व प्रबंध एवं कीटनाशी जीव प्रबंध आदि के लिए 60:20:20 प्रतिशत के अनुपात में तीन किस्तों में दी जाती है।

पुष्पोत्पादन

इस मद में छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी किसानों के लिए लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

मसालेदार फसल लगाने

इस मद में किसानों को मिर्च, लहसुन व हल्दी लगाने पर 40 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाये जाते हैं।

संरक्षित बागवानी

इस मद में किसानों को पोली हाउस व नैट हाउस लगाने के लिए 65 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

संरक्षित फसल लगाने

इस मद में पोली हाउस व नैट हाउस के अन्दर लगाई जाने वाली उच्च मूल्य की फसलें जैसे फूल व सब्जी लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

मधुमक्खी पालन

इस मद में किसानों को मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

बागवानी यंत्रों

बागवानी यंत्रों पर जैसे स्प्रे पम्प, ट्रैक्टर चलित स्प्रे पम्प, बैटरी चलित स्प्रे पम्प आदि पर सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

पैक हाउस

सब्जियों की कटाई उपरान्त ग्रेडिंग व पैकिंग के लिए पैक हाउस पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

खुम्ब उत्पादन

खुम्ब उत्पादन के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

प्लास्टिक क्रेटस

सब्जियों के परिवहन के लिए प्लास्टिक क्रेटस पर सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत व अनुसूचित जाति किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर प्लास्टिक क्रेटस उपलब्ध कराई जाती हैं।

ट्रीप व स्पिंगलर

टपका व सूक्ष्म सिंचाई के लिए 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को 70 प्रतिशत व 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।

वातानुकूलित सब्जी वाहन

किसानों को सब्जियों के विक्रय के लिए वातानुकूलित सब्जी वाहन पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

टैंक व सामुदायिक तालाब

किसानों को बागवानी हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए टैंकों पर 50 प्रतिशत व सामुदायिक तालाब पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

मल्लिचंग

इसके अन्तर्गत किसानों को 16000/- रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र तक ही अनुदान दिया जाता है।

एकीकृत कीट प्रबन्धन कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत 1200/- रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक ही अनुदान दिया जाता है।

प्लास्टिक टनल:

इसके अन्तर्गत 30/- प्रति वर्ग मी. के हिसाब से अधिकतम 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक ही अनुदान दिया जाता है।

हरियाणा में बागवानी को प्रोत्साहित और क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित उत्कृष्टता केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना की गई है:

- उष्णकटिबंधीय फलों के लिए विकास केन्द्र, लाड़वा, कुरुक्षेत्र (Centre for Sub-Tropical Fruits, Ladwa, Kurukshetra)

इण्डो-इजराइल तकनीक के तहत लाड़वा, जिला कुरुक्षेत्र में आम की उच्च गुणवत्ता तथा अधिकतम पैदावार देने वाली इजरायली प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है ताकि इजरायली आम तथा नई किस्मों को स्थानीय आम उत्पादक उगाकर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके।

- फलों की उत्कृष्टता के लिए केन्द्र, मांगियाना, सिरसा (Centre of Excellence for Fruits, Mangiana, Sirsa):

इण्डो-इजराइल प्रोजेक्ट के तहत मांगियाना, जिला सिरसा में किन्नु, अमरूद, अनार, खजूर, जैतून इत्यादि की उच्च गुणवत्ता तथा अधिकतम पैदावार देने वाली इजरायली प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है ताकि इन नई किस्मों को उगाकर स्थानीय किसान अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके।

- सब्जियों की उत्कृष्टता के लिए केन्द्र, घरौण्डा (Centre of Excellence for Vegetables, Gharaunda, Karnal):

इण्डो-इजराइल प्रोजेक्ट के तहत घरौण्डा, जिला करनाल में पॉलीहाउस के अन्दर सब्जियों की उच्च गुणवत्ता तथा अधिकतम पैदावार देने वाली इजरायली तकनीकी को विकसित किया जा रहा है ताकि किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके।

- **एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र, रामनगर, कुरुक्षेत्र (Integrated Bee-Keeping Development Centre Ramnagar, Kurukshetra):**

इण्डो-इजराइल प्रोजेक्ट के तहत रामनगर, जिला कुरुक्षेत्र में मधुमक्खी पालन से संबंधित इजरायली तकनीक को विकसित किया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान मधुमक्खी व्यवसाय को अपना कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके।

अनुदान प्राप्त करने का ब्यौरा

कोई भी किसान ब्लॉक स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी व जिले में जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र दे सकता है। सभी किसान जो बागवानी का कार्य करते हैं, उपरोक्त स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं।

आज के युग में पंचायतों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कृषि में विविधिकरण हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु बागवानी, पुष्पोत्पादन एवं सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित करें।

अधिक जानकारी के लिए देखें <http://agriharyana.nic.in/>

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

कृषि के बाद हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत अधिक महत्व है। पशुपालन बहुत से परिवारों की आजीविका का साधन है। मुख्यतौर पर विभाग द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं।

पशु टीकाकरण

इस कार्यक्रम में पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पशु चिकित्सकों व वी.एल.डी.ए द्वारा पशुओं को छूत के रोग से बचाने हेतु घर-घर में जा कर टीकाकरण का कार्य शत-प्रतिशत किया जाता है। यह टीकाकरण निशुल्क किया जाता है।

नस्ल सुधार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा अच्छे सांडों का वीर्य लेकर कृत्रिम गर्भादान विधि से गायों व भैंसों को गर्भित किया जाता है उन पशुओं से जो बच्चे पैदा होते हैं वह अच्छी नस्ल के पैदा होते हैं, जिन से दूध की बढोतरी होती है।

पशु स्वास्थ्य कैम्प

पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर पशु स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन कर के मुफ्त मिनीरल मिक्सचर देते हुए एवं हारमोंस विधि अपनाने हुए बांझपन का शत-प्रतिशत ईलाज किया जाता है।

इन्टेग्रेटिड मुराह विकास परियोजना

- इस कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा समय-समय पर मुराह जाति की दुधारू भैंसों की पहचान करते हुए उच्च स्तरीय दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है व पशुपालकों के अच्छे पशुओं को प्रोत्साहन राशि, जिन में 13-16 कि०ग्रा० तक दूध देने वाली भैंस को 5,000/- व 16-19 कि० ग्रा० दूध देने वाली भैंस को 10000 /- व 19-25 कि० ग्राम दूध देने वाली भैंस को 15000 /- व 25 कि० ग्राम से अधिक दूध देने वाली भैंस को 25000 /- इनाम के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है।
- इस कार्यक्रम के तहत पशुपालकों की अधिकतम दूध देने वाली मुराह जाति की भैंसों से पैदा हुए कटडों की पहचान कर के उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई गई, स्कीम के तहत बहुत ही अधिकतम मूल्य पर कटडों की खरीद की जाती है और उन्हें हिसार / भिवानी में विभागीय फार्मों में भेजकर कृत्रिम गर्भादान के लिए तैयार किया जाता है।

- इस कार्यक्रम के तहत जिले की ग्राम पंचायतों की मांग पर उन्हें विभाग में तैयार हुए युवा झोटों को नस्ल सुधार के उद्देश्य से बहुम ही कम रेट पर सरकार द्वारा चलाई स्कीम के तहत सबसीडी पर सप्लाई किया जाता है।

रोजगार योजना-मिनी डेयरी स्कीम

जिला के ग्रामीण हल्के के सामान्य जाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए विभाग द्वारा स्व:रोजगार मिनी डेयरी स्कीम के तहत निम्न अनुसार विभिन्न विभिन्न बैंको से 50000/- रूपये प्रति पशु की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है:-

- 3 दुधारू पशु जनरल जाति ऋण योजना 1.50 लाख, 25 प्रतिशत अनुदान।
- 5 दुधारू पशु जनरल जाति ऋण योजना 2.50 लाख, 25 प्रतिशत अनुदान।

अनुसूचित जाति ऋण योजना मिनी डेयरी स्कीम

- 2 दुधारू पशुओं के लिए ऋण 1 लाख रुपए व 25 प्रतिशत अनुदान राशि एवं मुफ्त बीमा।
- भेडपालन (20+मादा, 1 नर) बैंक ऋण 54,000/- - रु0 सब्सिडी 25 प्रतिशत एवं मुफ्त बीमा।
- सूअर पालन (5+1) बैंक ऋण 50,000 रुपए, सब्सिडी 25% एवं 2¼ % मुफ्त बीमा

गौशाला विकास कार्यक्रम (गौ संवर्धन)

हरियाणा में साहीवाल गाय जो कि 6 कि0 ग्रा0 व 10 कि0 ग्रा0 दूध देती हो, उनको 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। गाय मालिक को सभी चिन्हित गायों का बीमा भी किया जाएगा, जिसमें सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को बीमा राशि का 50 प्रतिशत खर्च व अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को बीमा राशि का 100 प्रतिशत मुफ्त बीमा किया जाएगा।

प्रत्येक जिले में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का एक उप-निदेशक कार्यालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त उपमण्डल पशुपालन अधिकारी भी तैनात होते हैं। प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर व गांव स्तर पर पशु अस्पताल, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, पशु विकास केन्द्र स्थापित हैं जिनमें पशु चिकित्सक व पशुधन सहायक नियुक्त होते हैं जोकि पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि पशुओं का ईलाज, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण व अन्य प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जिले में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध पालकों के बीच दुधारू पशुओं के दूध की मात्रा के बारे भी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं व अधिक दूध देने वाले पशुओं के मालिकों को वित्तीय पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें <http://pashudhanharyana.gov.in/>

मत्स्य पालन विभाग

मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। प्रदेश के गावों में परम्परागत तालाबों व निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है। हरियाणा प्रदेश समुद्री किनारे से बहुत दूर है परन्तु फिर भी यहां पर मत्स्य पालन ने काफी प्रगति की है। हरियाणा प्रदेश मत्स्य पालन में पूरे देश में अग्रणी राज्य है जहां पर नीली क्रान्ति का अनुभव किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन का बढ़ावा देने हेतु निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं:

अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याण की योजना के अर्न्तगत लाभ

- 1 **प्रशिक्षण:** मत्स्य पालन प्रशिक्षण 10 दिनों के लिये प्रदान किया जाता है, जिसमें 100/- रुपये आने-जाने का किराया दिया जाता है।
- 2 **प्रथम वर्ष पट्टे पर अनुदान:** मछली पालन हेतु पट्टे पर लिये गये तालाबों पर वित्तीय सहायता प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर 25000/- रुपये प्रति हैक्टेयर अधिकतम 50000/- रुपये दोनों में से जो राशि कम हो वह प्रदान की जाती है।
- 3 **रंगीन मछली रेयरिंग यूनिट:** रंगीन मछली रेयरिंग स्थापित करने हेतु लाभार्थी को अधिकतम 150000/- रुपये का ऋण /स्वखर्च पर 75000/- रुपये अनुदान के रूप में दोनों में से जो राशि कम हो वह प्रदान की जाती है।
- 4 **अधिसूचित पानी पर वित्तीय सहायता:** अधिसूचित पानी में मछली पकड़ने के लिए ठेके पर वास्तविक पट्टा राशि का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100000/- रुपये अनुदान के रूप में दोनों में से जो राशि कम हो प्रदान की जाती है।
- 5 **जाल खरीद पर अनुदान** इस स्कीम के अर्न्तगत मत्स्यों /मत्स्यपालकों को 15000/- रुपये जाल की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है।

मत्स्य किसान विकास ऍजेन्सी के अर्न्तगत वित्तीय सहायता का स्वरूप

- 1 **नये तालाब निर्माण:** निजी भूमि में नये तालाब निर्माण पर लाभार्थी को 300000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जिस पर अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 75,000/- रुपये तथा सामान्य जाति के लाभार्थी को 60,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है।
- 2 **पुराने तालाब का सुधार:** पुराने तालाब के सुधार कार्य पर लाभार्थी को 75,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 18,500/- रुपये तथा सामान्य जाति के लाभार्थी को 15,000/-रुपये का अनुदान दिया जाता है।

- 3 **खाद-खुराक:** मछली की खाद व खुराक पर लाभार्थी को 50,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 12,500/- रुपये तथा सामान्य जाति के लाभार्थी को 10,000/- रुपये अनुदान दिया जाता है।
- 4 **मछली बीज का निर्माण:** मछली हैचरी स्थापित करने के लिए लाभार्थी को प्रति हैचरी 12.00 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर 120000/- रुपये अनुदान दिया जाता है।
- 5 **संघन मछली पालन:** संघन मतस्य पालन के कार्य हेतु लाभार्थी को 80000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 25 प्रतिशत तथा सामान्य को 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

मत्स्य पालन विभाग द्वारा अन्य सुविधाएं

- 1 मत्स्य पालकों को गांव के तालाब पट्टे पर दिलवाना।
- 2 सस्ते दामों पर मछली बीज उपलब्ध करवाना।
- 3 मछली बढ़ोतरी का समय-समय पर निरीक्षण करना।
- 4 मछलियों में लगने वाली बिमारियों के उपचार बारे निःशुल्क परामर्श।
- 5 मत्स्य तालाबों की मिट्टी व पानी के सैम्पलों की जांच करवाना।

क्रियान्वन एवं दस्तावेजों का विवरण

सभी स्कीमों के क्रियान्वन हेतु जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, किसान विकास एजेन्सी के कार्यालय में प्रार्थी/मत्स्य किसानों से निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

सादे कागज पर प्रार्थी/मत्स्य किसान का प्रार्थना पत्र।

1. फोटो ।
2. शपथ पत्र/सहमति पत्र।
3. पंचायती तालाबों के पट्टे की 4 न0 की रसीद।
4. पट्टे की नकल।
5. निजी तालाबों हेतु जमीन की फरद व अक्स ।

पंचायतों की भूमिका

पंचायतें गावों में स्थित सामुदायिक तालाबों का नवीकरण कर उनमें मतस्य पालन आरंभ करके पंचायत की आमदनी में बढ़ोतरी कर सकती हैं जिससे वे गावों के विकास कार्य करवा सकती हैं। मतस्य पालन हेतु प्रत्येक जिले में जिला मतस्य पालन अधिकारी एवं मतस्य किसान विकास एजेंन्सी का कार्यालय स्थापित है।

अधिक जानकारी के लिए देखें [http:// harfish.gov.in/](http://harfish.gov.in/)

वन विभाग

वन विभाग द्वारा क्रियान्वित मुख्य स्कीमों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. **सरकारी भूमि पर पौधारोपण** इस स्कीम में मुख्य रूप से सरकार द्वारा जो वन क्षेत्र सुरक्षित वन घोषित किये गये हैं, उन पर पौधारोपण किया जाता है। यह पौधारोपण जगह की आवश्यकतानुसार लम्बे पौधे लगाकर या रिज बनाकर किया जाता है।
2. **वनों का नवीनीकरण** यह पौधारोपण भी ऐसी सरकारी भूमि में किया जाता है, जिसमें वन क्षेत्र में वृक्षों की संख्या अधिक नहीं है तथा इस स्कीम में प्रति हैक्टर 1100 पौधे लगाए जाते हैं।
3. **अनुसूचित गांव में वानिकी गतिविधियाँ** हरिजन विलेज स्कीम में मुख्य रूप से एस.सी. परिवारों के ज़मीन पर फलदार प्रजाति के ग्राफ्टिड पौधे लगाये जाते हैं। इसके अलावा टाल प्लान्ट्स का पौधारोपण भी एस.सी.विलेज के साथ लगते हुए वन क्षेत्रों में किया जाता है। इस स्कीम के तहत एस.सी. गांवों में आवश्यकतानुसार जोहड़ निर्माण का कार्य भी करवाया जाता है।
4. **रेल रोड़, नहर के साथ शैल्टर बैल्ट वृक्षारोपण** इस स्कीम के अन्तर्गत सरकारी वन भूमि जो रोड़, रेल तथा कैनल के साथ पट्टी के रूप में और उसके साथ लगते हुए किसानों की भूमि में एक किला लाईन तक पौधारोपण किया जाता है। जिस बारे में लाभार्थी किसान के साथ एक अनुबन्ध भी किया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के साथ वृक्षारोपण करके शैल्टर बैल्ट तैयार करना है तथा साथ ही किसानों को एग्रो फोरेस्टरी के तहत ज्यादा आय उत्पादन करवाना भी है। इस स्कीम के अन्तर्गत टाल प्लान्ट्स तथा रिज बनाकर भी कार्य किया जाता है।
5. **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम** यह योजना वर्ष 2002 से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें वन विकास एजेन्सी द्वारा सरकारी वन क्षेत्र तथा पंचायती भूमि पर वन विकास समिति की सहायता से पौधारोपण एवं अन्य विकास कार्य किये जाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए देखें <http://haryanaforest.gov.in/>

सामुदायिक वानिकी

सामुदायिक वानिकी हरियाणा द्वारा स्टेट / कैम्प स्कीम के अन्तर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर फार्म फोरेस्टरी व वाटरलोग्ड एरिया कम्पोनेंट के तहत क्लोन सफेदों व हाईब्रिड सफेदा व अन्य प्रजातियों के पौधों का पंचायत भूमि पर तथा सडकों के किनारे सरकारी भूमि पर पौधारोपण किया जाता है।

1. **फार्म फोरेस्टरी कम्पोनेंट** वन विभाग द्वारा किसान की कृषि भूमि में क्लोन सफेदे का निशुल्क पौधारोपण किया जाता है। एक हैक्टेयर में 650 पौधे रोपित करके एक वर्ष तक पौधों का पालन किया जाता है। पौधों के साथ-साथ किसान गेहूँ, सरसों, जई, सब्जियां भी उगा सकते हैं। किसान खेती की बाउण्ड्री पर पौधारोपण करवाकर भी फसल उगा सकता है।
2. **बायोड्रेनेज कम्पोनेंट** (Bio-drainage in waterlogged areas) के तहत किसानों की कृषि भूमि (जल स्तर पर 0 से 3 मी) में उत्तर दक्षिण बाउण्ड्री पर रीज बनाकर 1.5 मीटर के अन्तराल पर 200 पौधे प्रति हैक्टेयर की दर से क्लोन सफेदे का पौधारोपण किया जाता है। जिससे किसान फसल के साथ-साथ वृक्षों से एकमुश्त (पांच वर्षों) में अच्छी आय प्राप्त कर सकता है।
3. **विलेज वुड लाट (Village Wood Lots)** के तहत पंचायत भूमि पर विभिन्न प्रजातियों जैसे अर्जुन, कीकर, जामुन-जमाओं, नीम, सफेदा, पापड़ी आदि के पौधे 3x2 मीटर के अन्तराल पर 1100 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाये जाते हैं। जिससे पंचायत के अतिरिक्त आय के स्रोत होते हैं।
4. **एल०टी०जी० कम्पोनेंट (Linear Tree Gooves)** के तहत सडकों के किनारे, सरकारी भूमि पर 4 मीटर के अन्तराल पर 250 पौधे प्रति आर०के०एम० शीशम, जामुन, नीम, डैक, अर्जुन आदि प्रजातियों के लम्बे पौधे लगाये जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें <http://haryanaforest.gov.in/>

महिला एवं बाल विकास

राज्य सरकार महिलाओं, युवतियों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। उनके विकास एवं कल्याण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा इस हेतु निम्नानुसार महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं।

1. लिंगानुपात सुधारने की योजना

क) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना/अभियान है। भारत देश में लिंगानुपात महिलाओं के विपरित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में 1000 पुरुषों के अनुपात में 918 महिलाएं थी। हरियाणा प्रदेश में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात 1000:834 था जो पूरे देश में सबसे कम है। यह गिरावट देश में बड़े पैमाने पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल चुकी है तथा कन्या भ्रूण हत्या का बड़े पैमाने पर प्रचलन में है। भारत सरकार ने देश भर में एक जन-अभियान के माध्यम से असंतुलित शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधान करने के लिए “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना लागू की है एवं 100 जिले जिनमें लिंग अनुपात असंतुलित है, में हस्तक्षेप करना व बहुक्षेत्रीय कार्यवाही पर ध्यान केन्द्रित किया है।

देश में यह योजना 100 जिलों में जिसमें हरियाणा में ही 12 जिलों नामतः महेन्द्रगढ़, झज्जर, रिवाड़ी, सोनीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, भिवानी तथा पानीपत जिनमें असंतुलित लिंग अनुपात है, में शुरू की गई। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के तहत बालिका के जन्म पर खुशी मनाना और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिये उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

उद्देश्य

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

- पक्षपाती लिंग जांच को रोकना।
- बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

लक्ष्य

इस योजना के तहत असंतुलित लिंग अनुपात वाले चयनित 100 जिलों के एक वर्ष में जन्म लिंग अनुपात में 10 अंकों तक सुधार किया जाने का लक्ष्य है। पांच वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में लिंग भिन्नता को 2011 में 8 अंक से 2017 तक 4 अंक तक कम करना है।

बालिकाओं के पोषण की स्थिति में सुधार-5 वर्ष तक की बालिकाएं जिनका वनज कम है तथा खून की कमी है उनकी संख्या को कम करना (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 स्तर के अनुसार) है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के नामांकन को वर्ष 2013-14 के अति असंतुलित 76 प्रतिशत से वर्ष 2017 तक 79 प्रतिशत तक बढ़ाना है। वर्ष 2017 तक अति असंतुलित 100 जिलों के प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय क प्रबन्ध करना है। बालिकाओं के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण देने के लिए बाल यौन सुरक्षा अपराध अधिनियम, 2012 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना है। निर्वाचित प्रतिनिधि/ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को, समुदायों को शिशु लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकजुट करने हेतु सामुदायिक चैम्पियन के रूप में प्रशिक्षित करना है।

कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश

उपरोक्त लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु निम्नानुसार ढांचा बनाया गया है।

- जिला स्तर पर संबंधित विभाग जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा, पंचायती राज/ग्रामीण विकास एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्कफोर्स का गठन।
- खण्ड स्तर पर उप मण्डल अधिकारी/खण्ड अधिकारी/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा खण्ड स्तरीय टास्कफोर्स का गठन एवं खण्ड स्तरीय टास्कफोर्स की नियमित त्रैमासिक बैठक व समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
- ग्राम स्तर पर समन्वय, कार्यान्वयन और कार्ययोजना की निगरानी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषाहार समिति जोकि ग्राम पंचायत की उप समिति है, की जिम्मेदारी होगी।

योजना के तहत पुरस्कार

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 5.00 लाख रूपये जिला स्तरीय पुरस्कार के रूप में दिये जायेंगे जो जिले के 5 स्कूलों को एक लाख रूपये प्रति स्कूल प्रबन्धन समिति निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार दिये जाएंगे:-

- एक लाख रूपये का पुरस्कार उस स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि प्राथमिक स्कूल की आस-पास की 100 प्रतिशत लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलवाएगी और उनका प्रथम वर्ष में उपस्थिति सुनिश्चित रखेगी।
- एक लाख रूपये का पुरस्कार उस स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि कक्षा 5 में पढ़ रही 100 प्रतिशत लड़कियों को उसी स्कूल या नजदीक के उच्च प्राथमिक स्कूल में कक्षा 6 में भेजेगी।

- दो पुरस्कार प्रत्येक एक लाख रूपये का उस उच्च प्राथमिक स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि कक्षा 8 में पढ़ रही लड़कियों को कक्षा 9 में उसी स्कूल या किसी नजदीक माध्यमिक विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करेगी।
- एक लाख रूपये का पुरस्कार उस उच्च माध्यमिक स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि कक्षा 10 में पढ़ रही लड़कियों को कक्षा 11 में उसी स्कूल या किसी नजदीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करेगी।

ख) लाडली

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अतिरिक्त राज्य में घटते लिंग अनुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना “लाडली” चलाई जा रही है जिसके अर्न्तगत दूसरी बेटी के जन्म पर 5000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के लिए दिए जाते हैं। हरियाणा के निवासी सभी माता-पिता जिनकी दूसरी बेटी 20-08-2005 को या इसके बाद पैदा हुई हैं, जाति/समुदाय/धर्म/आय व बेटों की संख्या के भेदभाव के बिना, इस नगद प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं। छोटी बेटी की आयु 18 वर्ष होने पर परिपक्व राशि, वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000 रुपये दी जाएगी। इस योजना के अर्न्तगत राशि को भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना में निवेश किया जाता है।

ग) घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु पुरस्कार

यह पुरस्कार जिला स्तर पर दिया जाता है। लिंगानुपात में सुधार के लिए प्रतिवर्ष प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप से क्रमश 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये तथा 2 लाख रुपये दिये जाते हैं।

2. बच्चों से सम्बन्धित योजनाएं

क) समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आई.सी.डी.सी.)

इस योजना के अर्न्तगत 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखरेख, संदर्भित सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा 15-45 वर्ष की महिलाओं को समेकित रूप से प्रदान की जा रही है।

ख) समेकित बाल संरक्षण योजना

इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य

प्रोटेक्शन कमेटी तथा स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट के माध्यम से चलाया जा रहा है। जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, विकास, पुर्नवास व ईलाज के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी संस्थाओं द्वारा राज्य में ऐसी 90 बाल संरक्षण/देखरेख संस्थाएं चलाई जा रही हैं।

ग) शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत राज्य में सभी आँगनबाडी कार्यकर्ताओं को इस विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह माताओं एवं परिवारों को शिशुओं एवं बच्चों की आहार संबंधी आवश्यकताओं बारे जानकारी देकर शिक्षित कर सकें।

इसके अतिरिक्त बाल विकास हेतु आँगनबाडी भवन निर्माण की योजना, सर्कस से मुक्त बच्चों के लिए पुर्नवास योजना, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी भी स्थापित की गई हैं।

3. किशोरियों से संबंधित योजनाएं

क) किशोरी शक्ति योजना

किशोरी शक्ति योजना के तहत 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह योजना 15 जिलों के आई0 सी0 डी0 एस0 प्रोजैक्टों में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त 5.00 रुपये प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया जाता है।

ख) किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी (सबला) योजना अम्बाला, रेवाडी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल आदि 6 जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख-रेख के प्रति जानकारी में सक्षम करना तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है।

4. महिलाओं से सम्बन्धित योजनाएं

क) शिक्षा ऋण योजना

इस योजना लड़कियां/महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से देश/विदेश में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण पर 5% वार्षिक उपज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

ख) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र योजना

इस योजना के तहत स्वैच्छिक संस्थाएं/अर्ध सरकारी संस्थाओं/कल्याण एवं अनुसंधान संस्थाओं द्वारा महिलाओं, बच्चों व किशोरियों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सामाजिक बुराइयों जैसे कि दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की कम साक्षरता दर व महिलाओं के प्रति हिंसा आदि के समाप्त करने के लिए सामाजिक एकजुटता अथवा अभियान चलाती है, को सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है।

ग) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

यह परियोजना पंचकूला जिले में पायलट तौर पर चलाई जा रही है। इसमें गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं को लाभ देने के लिए 6000 रुपए की राशि दो किस्तों में दी जाती है।

घ) हरियाणा महिला विकास निगम

स्वरोजगार के माध्यम से कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करने हेतु हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है।

ङ) ग्रामीण महिलाओं के लिए खेल परियोजना

ग्रामीण महिलाओं को खेल व मनोरंजन के अवसर प्रदान करने के लिए खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर यह योजना चलाई जा रही है। विजेताओं को खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर विजेता महिलाओं को ईनाम निम्न प्रकार से दिए जाते हैं:

स्तर	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
खण्ड	500/-	300/-	200/-
जिला	1000/-	750/-	500/-
राज्य	3100/-	2100/-	1100/-

च) दहेज प्रतिषेध कार्यक्रम

यह अधिनियम दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। अधिनियम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग का मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य के सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेट्स एवं नगराधीशों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को

छ) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला पर संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पीडित महिलाओं को आवश्यक सहायता हेतु समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैड क्रॉस समितियों, जिला बाल-कल्याण व बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं।

ज) तेजाब से पीडित महिलाओं के लिए राहत व पुर्नवास योजना

इस योजना के अनुसार तेजाब पीडिता के गृह विभाग 3.00 लाख रुपए मुआवजा किया जाएगा। इसमें शरीर के किसी अंग का खत्म होना या प्लास्टिक सर्जरी का खर्च भी शामिल हैं। अंग खत्म या प्लास्टिक सर्जरी होने की स्थिति में 50,000 रुपए का मुआवजा पीडित महिला की मृत्यु होने पर 5.00 लाख रुपए मृतका की उत्तराधिकारी को दिये जाएंगे। तेजाब पीडिता के ईलाज का शत-प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा महिलाओं के सहायतार्थ विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रम/परियोजनाएं जैसे कि विधवा एवं बेसहारा गृह (महिला आश्रम), कामकाजी महिला आश्रम, हरियाणा राज्य उत्तर रक्षा गृह कन्या करनाल (नारी निकेतन), हरियाणा राज्य महिला आयोग एवं राज्य मिशन अथारिटी की स्थापना भी की गई है।

5. पुरस्कारों से सम्बन्धित योजनाएं

क) महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार

महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रतिवर्ष अखबारों में विज्ञापन प्रसारित कर आवेदन आमन्त्रित कर निम्नानुसार राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं:

1. एक लाख रूपये की राशि इन्दिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड
2. 51 हजार रूपये की राशि कल्पना चावला शौर्य अवार्ड

3. 51 हजार रूपये की राशि बहिन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड

4. 21 हजार रूपये की राशि लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड

ख) ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण किशोरी बालिकाओं को पुरस्कार दिये जाते हैं। जिनके अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 2000 रूपये 1500 रूपये व 1000 रूपये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 10+2 की परीक्षा में पहला दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 3000 रूपये, 2500 रूपये व 2000 रूपये दिये जाते हैं।

ग) पोषण स्तर में सुधार के लिए जिला स्तर पर न्यूट्रीशन अवार्ड

हरियाणा में बच्चों में कुपोषण को घटाने के लिए जिला स्तर पर न्यूट्रीशन अवार्ड दिये जाते हैं। इस योजना के तहत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को क्रमशः 2 लाख रूपये, 1 लाख रूपये तथा 50 हजार की रूपये की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाती है।

घ) सर्वोत्तम माता पुरस्कार

बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतु उनके लालन-पालन के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आईसीडीएस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सर्कल एवं प्रत्येक ब्लॉक में तीन-तीन माताओं को जिनकी कम से कम एक लड़की है का चुनाव प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में तीन माताओं को क्रमशः 1000 रूपये, 750 रूपये व 500 रूपये पुरस्कार दिये जाते हैं तथा सर्कल स्तर पर 500 रूपये 300 रूपये व 200 रूपये पुरस्कार दिये जाते हैं।

पंचायतों की भूमिका

इस विभाग की सभी योजनाएं जिला बाल विकास अधिकारी, खण्ड स्तरीय महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कलस्टर स्तरीय सुपरवाइजर एवं ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लागू की जाती हैं। ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह इन योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए जागरूक रहे व विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखे। पंचायतें ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करें व यह सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता द्वारा ठीक से बच्चों की देखरेख की जा रही है व महिलाओं को सही प्रकार से सहायता प्रदान की जा रही है।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.wcdhry.gov.in/

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो निम्नानुसार हैं।

- 1. गर्भवती महिला व बच्चों के लिए मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम:** इस अभियान के तहत बच्चों व गर्भवती महिलाओं का गलघोंटू, पोलियो, टीबी, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, हिमोफिलस इंफ्लुएंजा बी (निमोनिया) दिमागी बुखार, टेटनस और खसरा आदि बीमारियों के बचाव हेतु पूर्ण टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत खास तौर से स्लम बस्तियों, घुमन्तु जन समूहों एवं ईट भट्टों, निर्माणधीन भवन इत्यादि के लोगों को शामिल किया जायेगा।
- 2. माईक्रो न्यूट्रिएंट सप्लिमेंटेशन कार्यक्रम (पोषक तत्व अनुपूरण कार्यक्रम):** इसके तहत 5 साल से नीचे की आयु के बच्चों को 5 सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। जिसमें विटामिन “ए” अनुपूरक, कृमि-नाशक (पेट के कीड़े मारने के लिए) तरल आयरन फोलिक एसिड, आयोडिन की मात्रा मापने के लिए साल्ट टैस्टिंग और टीकाकरण में छूटे हुए बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों को यह सुविधाएं साल में दो बार फरवरी और अगस्त माह में दी जायेगी।
- 3. गर्भवती महिला व बच्चे के लिए “राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत निम्नानुसार टीकाकरण किया जाता है।

समय	टीका
संस्थागत प्रसव होन पर जन्म के समय	बीसीजी, ओपीवी व हेपेटाइटिस बी की एक खुराक।
छः सप्ताह	बीसीजी का टीका (अगर जन्म के समय नहीं दिया गया हो) टोपीवी की पहली खुराक और पेन्टा का पहला टीका अथवा डीपीटी-1 और हेपेटाइटिस बी की खुराक।
दस सप्ताह	ओपीवी की दूसरी खुराक और पेन्टा-2, डीपीटी-2/ हेपेटाइटिस -2
चौदहः सप्ताह	ओपीवी की तीसरी खुराक और पेन्टा-3, डीपीटी-3/ हेपेटाइटिस-3
नौः माह	खसरा (मजीलस) का पहला टीका व जेई-1 विटामिन ‘ए’ की पहली खुराक
सोलह से 18 सप्ताह	डीपीटी का पहला बुस्टर

	खसरा (मजीलस) का दूसरा टीका, जेई-2 विटामिन 'ए' की दूसरी खुराक ओपीवी की बुस्टर खुराक
दो से पाँच वर्ष से (कुल सात खुराकें)	विटामिन 'ए' की तीसरी से नवी खुराक हर छः महीने के अन्तराल
पाँच वर्ष	डीपीटी का दूसरा बुस्टर टीका
दस वर्ष	टीटी का बूस्टर टीका
सोलह वर्ष	टीटी का बूस्टर टीका

4. **पेन्टा:** डीपीटी व हेपेटाइटिस बी के टीके की जगह "पेन्टा" का टीका हमारे राज्य में राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शुरू कर दिया गया है। इससे 5 बिमारियों का बचाव संभव है। गलघोटू, काली खांसी, टेटनस, हैपेटाइटिस-बी तथा निमोनिया (हिब)। अपने बच्चे को जानलेवा और विकलांग बना देने वाली बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीका लगवायें।

5. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाएं इस प्रकार हैं:

योजना के अर्न्तगत गर्भवती महिला के लिए पात्रताएं	जन्म के 30 दिन तक बिमार नवजात शिशु की पात्रताएं
प्रसव और सिजेरियन आप्रेशन निःशुल्क और कोई खर्च नहीं।	निःशुल्क और बिना खर्च उपचार।
दवाईयां और उपभोज्य (भोजन सामग्री) निःशुल्क।	औषध और उपभोज्य (भोजन सामग्री) निःशुल्क।
अनिवार्य नैदानिक सुविधाएं।	निःशुल्क नैदानिक सुविधाएं।
स्वास्थ्य संस्था में ठहरने के दौरान मुफ्त भोजन।	रक्त की व्यवस्था निःशुल्क।
घर से स्वास्थ्य संस्था तक निःशुल्क परिवहन।	घर से स्वास्थ्य संस्था तक निःशुल्क परिवहन।
रैफरल की स्थिति में सुविधा केन्द्रों के बीच निःशुल्क परिवहन	रैफरल की स्थिति में सुविधा केन्द्रों की बीच निःशुल्क परिवहन (5 साल)
48 घंटे संस्था में ठहरने के बाद संस्था से घर वापिस छोडना।	संस्था से घर वापिस छोडना।
सभी प्रकार के टैस्ट एवं जांच निःशुल्क।	सभी प्रकार के टैस्ट एवं जांच निःशुल्क
42 दिन तक किसी भी बीमारी के लिए हस्पताल में चैक	

करवाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा	
--------------------------------------	--

सुविधा केन्द्र- यह सुविधा सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर डिलवरी हट उपलब्ध हैं।

6. जननी सुरक्षा योजना (भारत सरकार): इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। गर्भवती महिलाएं इस योजना की पात्र हैं। इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे आती हैं उन्हें मुफ्त प्रसव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अन्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि प्रदान की जाती है:

1. प्रसूति	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
2. संस्थागत प्रसव	700/-	600/-
3. घर पर प्रसव	500/-	500/-

इसके तहत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित संस्थाओं में प्रसव करवाना जरूरी है। जिसके लिए राशन कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज हैं।

सम्पर्क:- सामान्य हस्पताल में चिकित्सा अधिकारी पी.सी.सी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी/उप0स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. /गांव की आशा वर्कर से सम्पर्क करे।

7. विशेष नकद सहायता (हरियाणा सरकार): इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति की गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष सहायता प्रदान करना एवं मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। अनुसूचित जाति/जनजाति की गर्भवती महिलाएं इस योजना की पात्र हैं।

- योजगर्भ की पहली त्रिमाही में गर्भवती महिला का नाम दर्ज कराने 500/-
- गर्भ की दूसरी त्रिमाही में संस्थागत जच्चा का जांच कराने पर 500/-
- संस्थागत प्रसव कराने पर 500/-

इसके तहत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित संस्थाओं में प्रसव करवाना जरूरी है। जिसके लिए राशन कार्ड, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज हैं।

सम्पर्क:- सामान्य हस्पताल में चिकित्सा अधिकारी पी.पी.सी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वरिष्ठ चिकित्सा

अधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी/उप0स्वास्थ्य में ए.एन.एम से सम्पर्क करे।

8. परिवार नियोजन: परिवार नियोजन स्थायी एवं अस्थायी प्रकार से किया जा सकता है।

क) स्थायी साधन

- i) नसबंदी (एन.एस.वी.): प्रत्येक लाभार्थी को नसबन्दी कराने पर 2000 रुपए दिये जाते हैं।
- ii) नलबंदी: स्टरलाईजेशन करवाने पर -2200 रुपए, नलबन्दी कराने पर 1400 रूपए प्रति एवं प्राइवेट हस्पताल में नसबंदी व नलबंदी का आप्रेशन करवाने पर लाभार्थी को 1000 रुपए दिये जाते हैं।

ख) अस्थायी साधन

- i) कॉपर -टी
- ii) पी.पी.आई.यू.सी.डी. डिलीवरी के 48 घंटे के अन्दर-अन्दर करवाने उपरान्त
- iii) बच्चों में अन्तर रखने के लिए गर्भ निरोधक गोलियाँ
- iv) निरोध

सुविधा केन्द्र- यह सुविधा सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जहां पर आप्रेशन थियेटर की सुविधा है, पर उपलब्ध हैं।

9. मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा (फोन न. 102)

- इस सुविधा के अर्न्तगत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान व डिलवरी के बाद 42 दिनों तक ये सुविधा उपलब्ध है।
- शिशुओं की विभिन्न बिमारियों के लिए जन्म के 5 वर्ष तक उपलब्ध है।
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए।
- हर प्रकार की एमरजेंसी की जिले के भीतर फ्री सुविधा उपलब्ध है।
- गर्भवती महिला, सड़क दुर्घटना, शिशु के लिये मैडिकल कालेज तक रैफर सुविधा मुफ्त उपलब्ध है।
- अन्य श्रेणी के व्यक्ति 7.00 रू0 प्रति किलोमीटर के भुगतान पर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- Advance Life Support Amulance का अन्य श्रेणी के व्यक्ति 15.00 रू0 प्रति किलोमीटर के भुगतान पर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सुविधा केन्द्र- यह सुविधा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।

10. आशा वर्कर

- प्रत्येक गाँव में 1000 की जनसंख्या पर एक आशा वर्कर उपलब्ध है व शहरी क्षेत्र में 2000 की जनसंख्या पर एक आशा वर्कर उपलब्ध है।
- हरियाणा के सभी कार्यक्रमों में भाग लेती है और इसके लिए आशा को हरियाणा सरकार द्वारा मानदेय व प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

11. जन्म व मृत्यु का पंजीकरण

- जन्म व मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अंदर करवाना अनिवार्य है। जिसकी सुविधा जिला हस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सभी नगरपालिकाओं पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- 21 दिनों के बाद-एक महीने तक नियमानुसार फीस चार्ज की जाएगी।
- एक महीने के बाद विलम्ब केस की फाईल बनवानी पड़ती है (जिससे अनावश्यक देरी होती है तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है)।

(अपील: जन-सामान्य से अनुरोध किया जाता है कि जन्म व मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के अंदर अवश्य करवाये।)

सम्पर्क सूत्र: ग्रामीण स्तर पर आशा वर्कर के सहायता से पंजीकरण करवाया जा सकता है।

12. डेंगू बुखार से सम्बन्धित जानकारी

- डेंगू बुखार एक विशेष किस्म के मच्छर के काटने से होता है।
- यह मच्छर घरों व इर्द-गिर्द कूलर, टायरों, घड़ों व टैंकों इत्यादि के पानी में पैदा होता है। जिनका सप्ताह में एक बार अवश्य बदलना चाहिए।

लक्षण

- अचानक तेज बुखार।
- सिर के अगले भाग में व पेट में दर्द।
- आंखों पट्टो और जोड़ों में दर्द।
- जी मित्तलाना, उल्टी आना, भूख न लगना।
- छाती के ऊपर के हिस्से में दानों का निकलना।
- नाक, मुंह मसूड़ों से खून निकलना व खून की उल्टी।

रोकथाम

- पूरी बाजू के कपडे पहनें।
- मच्छर निवारक क्रीम व तेल का प्रयोग।
- मच्छरदानी का प्रयोग।
- **जांच सुविधा-** सभी प्राइमरी चिकित्सा केन्द्रों पर जांच सुविधा उपलब्ध है व दवाइयों की सुविधा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

13. क्षय-रोग (टी.बी. व कुष्ठ रोग)

- जिला हस्पताल, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बलगम की निःशुल्क जांच की जाती है।
- टी.बी. रोग पाये जाने पर डॉट्स प्रणाली द्वारा ईलाज किया जाता है।
- डॉट्स पणाली में एक मरीज की पूरी दवाई डॉट्स प्रोवाइडर की देखरेख में निःशुल्क खिलाई जाती है जो कि 6 या 8 महीने तक की होती है।
- यदि मरीज की दवाई का असर न आए तो की MDR TB की श्रेणी में डाल दिया जाता है। जिसकी जांच जिला सामान्य अस्पताल की लैब में उपलब्ध है। उसे 2 साल तक दवाई निःशुल्क खिलाई जाती है।
- कुष्ठ रोग की जांच जिला स्तर पर व ईलाज की व्यवस्था प्रत्येक प्रा.स्वा.केन्द्र निःशुल्क उपलब्ध है।
- खांसते, छीकते समय मुंह व नाक पर कपड़ा/रूमान रखें।
- जगह-जगह न थूकें।

(नोट: ग्राम स्तर पर मरीजों को दवाइयों की उपलब्धता आशा वर्कर द्वारा सुनिश्चित की जाती है।)

14. एड्स से सम्बन्धित जानकारी

- एच.आई.वी. एड्स की जानकारी, जांच व परामर्श प्रदेश भर के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामान्य अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
- एच.आई.वी. एड्स पाये जाने पर जिला स्तर पर निःशुल्क दवाईयां दी जा रही है।

जांच सुविधा- सभी प्राइमरी चिकित्सा केन्द्रों पर जांच सुविधा उपलब्ध है, जहां पर काउंसलर उपलब्ध है।

15. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी व सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों व सभी आंगनबाडी केन्द्रों के सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच चिकित्सा अधिकारियों, फार्मसिस्ट, ए. एन.एम. द्वारा निःशुल्क की जाती है। जिला हस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क उपचार किया जाता है।
- गम्भीर बिमारी पाये जाने पर केस बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है तथा सरकार द्वारा पी.जी.आई. स्तर पर निःशुल्क उपचार किया जाता है।

16. पी.एन.डी.टी.

- हमारे जिले में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जनवरी 2015 तक 910 महिला है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है।
- गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण करवाना कानून अपराध है। जिसके लिए जुर्माना व सजा का प्रावधान है।

17. पी.एन.डी.टी. एक्ट

- इस एक्ट के अंतर्गत हर 3 माह के अंदर जिले के प्रत्येक अल्ट्रासाउंड केन्द्र का निरीक्षण अवश्य किया जाता है।
- लिंग परीक्षण संबंधी जानकारी देने पर 1,00,000 रूपए का नकद ईनाम सरकार द्वारा दिया जाता है तथा नाम व पता गुप्ता रखा जाता है।

18. नवजात व मातृ मृत्यु दर

- नवजात व मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए सभी अनुभवी डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कड़े प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इसकी दर में कमी लाई जा सकें।
- अधिक जानकारी के लिए देखें www.haryanahealth.nic.in/

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं।

1. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एकमुश्त भत्ता छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों की कक्षाओं में घटती संख्या को बढ़ाना एवं उन्हें बाहरवीं कक्षा के स्तर तक पढने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एकमुश्त भत्ता की छात्रवृत्ति दर कक्षावार इस प्रकार है:

कक्षा	राशि
नौवीं से बारहवीं	1450

2. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक भत्ता:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों की कक्षाओं में घटती संख्या को बढ़ाना एवं उन्हें बाहरवीं कक्षा स्तर तक पढने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक भत्ता कक्षावार इस प्रकार है:

कक्षा	राशि	
	लडके	लडकियां
नौवीं से बारहवीं	250	400
ग्यारहवीं से बारहवीं (विज्ञान संकाय)	400	600

3. **पिछडा वर्ग (ए)/गरीबी के रेखा से नीचे विद्यार्थियों के लिए मासिक भत्ता:** इसका उद्देश्य पिछडा वर्ग (ए)/गरीबी के रेखा से नीचे के छात्रों की कक्षाओं में घटती संख्या को बढ़ाना एवं उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर तक पढने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। पिछडा वर्ग (ए)/गरीबी के रेखा से नीचे विद्यार्थियों के लिए मासिक भत्ता कक्षावार इस प्रकार है:-

कक्षा	राशि	
	लडके	लडकियां
पहली से पांचवी	शून्य	100
छठी से आठवीं	100	200
नौवी से बारहवीं	150	300
ग्यारहवीं से बारहवीं (विज्ञान संकाय)	200	400

4. **स्वतन्त्रता सेनानियों के पोते/पोतियों तथा दोहते/दोहतियों के लिए मासिक भत्ता:** इसका उद्देश्य स्वतन्त्रता सेनानियों के पोते/पोतियों तथा दोहते/दोहतियों को उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा देना तथा उन्हें बाहरवीं कक्षा के स्तर तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। स्वतन्त्रता सेनानियों के पोते/पोतियों तथा दोहते /दोहतियों के लिए मासिक भत्ता कक्षावार इस प्रकार है:-

कक्षा	राशि	
	लडके	लडकियां
पहली से पांचवी	शून्य	225
छठी से आठवीं	200	300
नौवी से बारहवीं	250	400
ग्यारहवीं से बारहवीं (विज्ञान संकाय)	400	600

5. **उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी योजना के तहत छात्रवृत्ति:** इसका उद्देश्य प्रथम आने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है। यह छात्रवृत्ति कक्षा छठी से आठवीं के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो कि पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हुए हों। यह छात्रवृत्ति प्रत्येक कक्षा के एक लडका व एक लडकी को प्रदान की जाती है। उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी योजना के तहत छात्रवृत्ति इस प्रकार है:-

छात्रवृत्ति की दर

1	छठी से आठवीं	750 रुपये प्रति विद्यार्थी
2	कक्षा 9वी से 12वी	1000 रुपये प्रति विद्यार्थी

6. **केन्द्र द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति जिसके अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।** इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं की कक्षाओं में घटती संख्या को बढ़ाना एवं उन्हें बाहरवीं कक्षा स्तर तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसमें पात्र छात्रा के बैंक अकाउन्ट में 3000 रुपये की एफ0डी0 जमा करवा दी जाती है यह जमा करवाने के अवधि से छात्रा के 18 वर्ष तक होने की अवधि तक रहती है। परिपक्वता अवधि से पहले यह छात्रवृत्ति नहीं निकाली जा सकती।

7. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्रमांक	मद	होस्टलर	डे स्कोलर्स
1	दाखिला फीस कक्षा 6वीं से 10वीं	अधिकतम स्वीकृत राशि 500 रुपये प्रति वर्ष	अधिकतम स्वीकृत राशि 500 रुपये प्रति वर्ष
2	ट्यूशन फीस कक्षा 6वीं से 10वीं	अधिकतम स्वीकृत राशि 300 रुपये प्रति वर्ष	अधिकतम स्वीकृत राशि 350 रुपये प्रति वर्ष

एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह से अधिक मेन्टेनेन्स भत्ता प्राप्त नहीं किया जा सकता जो कि निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	मद	होस्टलर	डे स्कोलर्स
1	कक्षा पहली से पांचवी	शून्य	100 रुपये प्रति माह
2	कक्षा छठी से दसवीं	अधिकतम 600 रुपये प्रतिमाह	100 ये प्रतिमाह

8. राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। जिसमें आठवीं कक्षा में पढ़ रहे सभी राजकीय /सहायता प्राप्त विद्यालयों के वही बच्चे भाग ले सकते हैं जिन्होंने 7वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 55 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। माता-पिता की आय 150000/- रुपये तक होनी चाहिए। परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी को 500/- रुपये प्रति माह की दर से चार वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

9. एस०सी०/बी०सी०/बी०पी०एल० छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्यावाही/सूचना:- सम्बन्धित एस०सी०/बी०सी०/बी०पी०एल० की छात्र संख्या विद्यालय के मुखिया द्वारा तसदीक करने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त होती है। उसके बाद सम्बन्धित छात्र संख्या निदेशालय में भिजवाकर राशि प्राप्त की जाती है। यह राशि विद्यालयों के मुखिया के द्वारा सम्बन्धित लाभार्थियों के खातों में जमा करवा दी जाती है।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.schooleducationharyana.gov.in/

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं:

अनुसूचित जाति तथा विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/ विमुक्त जाति/ टपरीवास जाति के व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने हेतु, मरम्मत हेतु अनुदान प्रदान करके उनकी आवासीय समस्या का समाधान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे अनुसूचित जाति/ विमुक्त एवं टपरीवास जाति के व्यक्तियों जिनके पास रहने योग्य मकान न हो तथा उनके पास ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50 वर्ग गज का तथा शहरी क्षेत्र में 35 वर्ग गज का प्लॉट हो तथा पहले इस प्रयोजन हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। मकान मरम्मत हेतु अनुदान के लिये प्लॉट के क्षेत्रफल की सीमा लागू नहीं होती।

आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किये जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जिसमें प्लॉट का सबूत सरपंच/पटवारी की रिपोर्ट तथा बी.पी.एल. सूची सहित संबंधित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे

इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना

इस स्कीम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान राशि दी जाती है।

पात्रता-

- प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों (बी0पी0एल0) की सूची में दर्ज हो।
- यह अनुदान एक व्यक्ति की दो लड़कियों की शादी तक दिया जाता है।
- विधवा/तलाकशुदा महिला स्वयं के पुनर्विवाह हेतु भी अनुदान प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वह स्कीम की अन्य शर्तें पूरी करती हो और उसने अपनी शादी हेतु पहले अनुदान प्राप्त न किया हो।

- यदि किसी कारणवश शादी की तिथि से पूर्व प्रतिवेदन न दिया हो तो कारण स्पष्ट करते हुए शादी के एक मास बाद तक भी आवेदन किया जा सकता है।

आर्थिक सहायता: अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लोग एवं विधवाओं के लिये:- 31,000/ रू0, सामान्य वर्ग/पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिये: 11,000/रू0 तथा सामान्य वर्ग /पिछड़े वर्ग की विधवा के लिये:- 31,000/ -रू0। आवेदन पत्र जिला/तहसील कल्याण अधिकारी से मुफ्त प्राप्त करके पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जिसमें लडकी की आयु का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 सूची तथा सरपंच/पटवारी की रिपोर्ट व शादी कार्ड सहित उपरोक्त कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989

इस एक्ट के अधीन गैर अनुसूचित जातियों के लोगों के अत्याचार से पीडित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रार्थी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार व नरसंहार इत्यादि से पीडित हो तथा इसकी संबंधित थाने में अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के तहत एफ.आई.आर दर्ज हो।

वित्तीय सहायता-

विभिन्न प्रकार के अत्याचार होन पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 90,000 रू0 से 7,50,000/रू0 तक की राशि प्रदान की जाती है। सादे कागज पर आवेदन पत्र प्राथमिकी रिपोर्ट, मैडिकल रिपोर्ट सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

डा० बी०आर० अम्बेडकर मेधावी छात्र/छात्रा योजना

शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा रखने हेतु तथा उन्हें समक्ष बनाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं दसवीं से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग से संबंधित हो। अनुसूचित जाति से संबंधित छात्र/छात्रा ने मैट्रिक अथवा 10+2 की बोर्ड परीक्षा (हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी) से पास की हो।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.haryanascbc.gov.in/

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	योजना का नाम	प्रावधान
1	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना	हरियाणा अधिवासी आयु सीमा- 60 वर्ष या अधिक वार्षिक आय- 2 लाख से कम सम्मान भत्ता -1400 प्रति मास शर्त-किसी अन्य विभाग से पेंशन ना ले रहा है।
2	विधवा पेंशन	हरियाणा अधिवासी आयु सीमा- 18 वर्ष या अधिक शर्त- विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा, शत-प्रतिशत विकलांग, पति जेल में होने की स्थिति में वार्षिक आय- 30,000 रुपये से कम पेंशन- 1400 रुपए प्रति मास
3	विकलांग पेंशन योजना	हरियाणा अधिवासी आयु सीमा- 18 वर्ष या अधिक आय- न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर पेंशन- 1400 रुपए प्रति मास
4	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	आयु सीमा- 21 वर्ष से कम के शर्त- अनाथ बच्चे व माता-पिता, शत-प्रतिशत विकलांग, विधवा, बेसहारा, पति जेल में होने की स्थिति वार्षिक आय- 30,000 रुपए से कम वित्तीय सहायता- 500 रुपए प्रति मास
5	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता	आयु सीमा- 45-60 वर्ष शर्त-वो माता-पिता जिनके पास कोई अथवा दत्तक पुत्र ना हो, केवल लडकियां हो। आयु- 2 लाख रुपए से कम

		सुरक्षा भत्ता- 1200 रुपए प्रति मास
6	स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता	आयु सीमा- 18 वर्ष से कम शर्त- 100% विकलांग बच्चे वित्तीय सहायता- 700 रुपए प्रति मास
7	राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	आयु सीमा- 18-60 वर्ष वार्षिक आय- 2.50 लाख से कम शर्त- दुर्घटना अथवा अन्य अप्राकृतिक कारण से मृत्यु होने पर मुख्य आश्रित को सहायता दी जाएगी। मृत्यु होने पर- 1 लाख रुपए एक अंग के नुकसान- 25,000 रुपए दो अंगों के नुकसान- 50,000 रुपए पूर्ण स्थायी विकलांग होन पर- 1 लाख रुपए
8	बौना भत्ता बीमा योजना	आयु सीमा- 18 वर्ष से अधिक शर्त- चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें परूषों के लिए 3 फुट 8 इंच और महिलाओं के लिए 3 फुट 3 इंच लम्बाई भत्ता- 1200 रुपए प्रति मास
9	किन्नर भत्ता योजना	आयु सीमा- 18 वर्ष से अधिक शर्त- चिकित्सा प्रमाण पत्र सिविल सर्जन द्वारा दिया हो। आवेदक किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो। शपथ पत्र/ जन्म प्रमाण पत्र आदि की जांच के उपरान्त भत्ता- 1200 रुपए प्रति मास
10	विस्थापित कश्मीरी परिवारों को आर्थिक सहायता योजना	कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा राज्य में स्थापित कश्मीरियों जो कि कमाने में असमर्थ हो। आमदनी- 50,000 रुपए से कम हो समय सीमा- केवल 2 वर्ष तक पुर्नवास होकर विस्थापन का प्रमाण पत्र, कश्मीर में रहते समय परिवार के सदस्यों को विवरण सहित जोकि किसी सरकारी/अर्धसरकारी/स्थानीय निकाय बोर्ड या उधम में नौकरी ना कर रहा हो। वित्तीय सहायता- 2500 रुपए प्रति मास

11	विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	<p>शर्त- हरियाणा अधिवासी जो किसी सरकारी/अर्धसरकारी/स्थानीय निकाय बोर्ड निगम या किसी उधम में नौकरी ना कर रहे हो</p> <p>शर्त-100% विकलांगता का प्रमाण पत्र के आधार पर जो 8 वर्ष से ज्यादा पुराना ना हो</p> <p>मैट्रिक- 1000 रुपए प्रति मास</p> <p>स्नातक- 1500 रुपए प्रति मास</p> <p>स्नातकोत्तर- 2000 रुपए प्रति मास</p> <p>समय सीमा- केवल 6 वर्ष</p>
12	विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति योजना	<p>इस योजना के तहत 40% विकलांग छात्रों को जो कि सरकारी मान्यताओं प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हो। छात्रवृत्ति की दर कक्षा अनुसार अलग-अलग हैं।</p> <p>वार्षिक आय- माता-पिता की सभी साधनों से वार्षिक आय 48,000 रुपए से अधिक न हो।</p>
13	गरीबी रेखा से नीचे वरिष्ठ नागरिकों को नजर के चश्में मुफ्त उपलब्ध करवाना	<p>आयु सीमा- 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाए जाते है। 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को पहचान पत्र के आधार पर हरियाणा रोडवेज की बसों में 50% किराए में छूट दी गई है।</p>
14	गरीबी रेखा से नीचे वरिष्ठ नागरिकों को नजर के चश्में मुफ्त	<p>इस योजना के तहत ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हो, को सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर पात्र वृद्धों को 200/- रू0 राशि तक के मुफ्त नजर के चश्में उपलब्ध करवाए जाते है।</p>
15	वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र	<p>इस योजना के अर्न्तगत हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को पहचान पत्र के आधार पर हरियाणा रोडवेज की बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट दी गई है।</p>

इन योजनाओं के आवेदन पत्र संबंधित नगर निगम, नगरपालिका तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन करवाकर बीडीपीओ दफ्तर में जमा करवाएं। इसके बाद यह जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। विधवा पेंशन के मामले में आवेदन पत्र के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें। विकलांग पेंशन के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र एस.डी.एम. द्वारा सत्यापित करवायें।

अधिक जानकारी के लिए देखें [www. socialjusticehry.gov.in/](http://www.socialjusticehry.gov.in/)

खाद्य एवं आपूर्ति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी कहा जाता है भारत के लगभग दो-तिहाई लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए 5 जुलाई, 2013 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य लाभान्वित परिवारों को समुचित मात्रा में तथा सस्ती दरों पर अनाज देना ताकि वे अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से व्यतीत कर सकें।

इस योजना के अर्न्तगत चिह्नित किए गए लाभार्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार अन्तोदय अन्न योजना (ए0ए0वाई0) कार्डधारकों को 35 किलो गेहूँ प्रति कार्ड तथा प्राथमिक परिवारों (राज्य एवं केन्द्रिय बीपीएल अनुसूची तथा विकलांग) को 5 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति व्यक्ति (2/- रूपये प्रति कि0ग्रा0) प्रति मास उपलब्ध करवाई जा रही है।

पात्रताएं (ग्रामीण व शहरी)

1. बी.पी.एल. एवं अन्तयोदय अन्न परिवार।
2. वह परिवार जिसका मुखिया निशक्त व्यक्ति, विधवा, अकेली महिला (अविवाहित/अलग/परिव्यक्त) हो।
3. बेघर परिवार, सभी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार व जो परिवार कच्चे मकान में रह रहे हैं।
4. सभी किसान परिवार जिसके पास 5 एकड़ तक किसी भी तरह की जमीन हो।
5. अति संवेदनशील व्यावसायिक परिवार, जैसे कृषि, हस्तशिल्प मजदूर, गैर-कृषि स्वयं उद्यमी, अंशकालिक व पूर्णकालिक घरेलू सेवा, कचरा उठाने वाले, भीख/दान/भीख संग्रह या अन्य जैसा निर्दिष्ट किया जाएं व व्यावसायिक रूप से कमजोर परिवार जिसकी कहीं से कोई आय न होती हो।

अपात्रताएं (ग्रामीण व शहरी)

1. सभी आयकर दाता, वैट दाता, सेवा करदाता, व्यावसायिक करदाता।
2. कोई भी परिवार जिसके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हो।
3. कोई भी परिवार जो ए.सी. या चौपहिया वाहन का स्वामी हो व कोई भी घर जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक हो।

4. केन्द्र, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र व उसके बोर्डों/ निगमों/उद्यमों/ उपक्रमों/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं व सुधार न्यास इत्यादि के कर्मचारियों को छोड़कर।

दाल रोटी योजना

इस योजना के तहत प्रति बीपीएल एएवाई परिवार को प्रतिमाह 20 रूपये प्रति किलो की दर से 2.5 किलोग्राम दाल, 13.50 पैसे प्रतिकिलो की दर से 2 किलो चीनी व 13.82 पैसे-14.61 पैसे प्रति लीटर की दर से 7 मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना 20 अगस्त, 2013 को लागू की गई थी।

संशोधित प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण कुकिंग गैस

भारत सरकार द्वारा 01.01.2015 से सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को उनके गैस सिलेण्डर की सबसीडी सीधा उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करवाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिये सभी गैस उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड/बैंक खाता न. व घरेलू गैस उपभोक्ता न. को स्कीम के तहत गैस एजेन्सी द्वारा लिंक करवाना अनिवार्य है। जिससे गैस सिलेण्डर की सबसीडी सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा हो जायेगी।

औद्योगिक सामाजिक जिम्मेवारी (कॉर्पोरेट सोशल रिसपोनसिबिलिटी) के तहत गैस कनेक्शन

भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक सामाजिक जिम्मेवारी के तहत जिस बी.पी.एल./ ए.ए.वाई. कार्डधारक के पास गैस कनेक्शन की सुविधा नहीं है उनको नये गैस कनेक्शन पर दिनांक 31.03.2015 तक छुट प्रदान की गयी है। अतः जिस बी.पी.एल./ए.ए.वाई कार्डधारक के पास गैस कनेक्शन की सुविधा नहीं है वे उक्त स्कीम के तहत दिनांक 31.03.2015 तक अपनी नजदीकी गैस एजेन्सी से नया गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.haryanafood.gov.in/

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने व गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

प्रशिक्षु (लरनर) ड्राइविंग लाइसेंस

इसमें दो फार्म लगते हैं। फार्म नं० 1 व 2 साथ में आयु का प्रमाण पत्र व स्थाई निवास का प्रमाण पत्र की कापी लगाई जाती है। यह लाइसेंस छह माह के लिए जारी किया जाता है। इसके बनवाने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए व 16 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का बिना गियर का लाइसेंस ही बनता है।

पक्का ड्राइविंग लाइसेंस

लाइसेंस के चालीस दिन बाद पक्का लाइसेंस जारी किया जा सकता है। इसके लिए फार्म नं० 1 व 4 भरना होता है। फार्म नं० 4 पर पुलिस विभाग के जिला निरीक्षक द्वारा पासिंग की जाती है। इसके बाद उपमण्डल अधिकारी (ना०) कार्यालय में फीस जमा होती है और फोटो खिंचता है व इसके इलावा 40 रूपये की रसीद कटवाकर लाइसेंस/आर.सी को घर भी प्राप्त कर सकते हैं।

फीस विवरण

क्र.स.	वाहन की प्रकार	लाइसेंस फीस	रेड क्रॉस फीस	डी.आई.टी.एस. फीस	जिला बाल कल्याण फीस
1	स्कूटर, मोटर साईकिल	30	150	150	50
2	स्कूटर, मोटर साईकिल, कार, जीप	60	150	150	50
3	स्कूटर, मोटर साईकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर	90	150	150	50

ड्राइविंग लाइसेंस की फीस

क्र.स.	वाहन	लाइसेंस फीस	नगर/कमेटी निगम फीस
1	स्कूटर, मोटर साईकिल	250	100
2	स्कूटर, मोटर साईकिल, कार, जीप	300	100
3	स्कूटर, मोटर साईकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर	3500	100
4	कन्डेक्टर लाइसेंस फीस	100	100

नवीनकरण फीस

क्र.स.		लाइसेंस फीस	रेड क्रॉस/ मैडीकल टेस्ट फीस	डी.आई.टी.एस. फीस	जिला बाल कल्याण फीस
1	ड्राइविंग फीस	250	150	150	50
2	कन्डेक्टर फीस	100	150	150	50

डुप्लीकेट लाईसैन्स फीस

क्र.स.		लाईसैन्स फीस	रेड क्रास/ मैडीकल टेस्ट फीस	डी.आई.टी.एस. फीस	जिला बाल कल्याण फीस
1	ड्राईविंग फीस	100	150	150	50
2	कन्डेक्टर फीस	100	150	150	50

वाहनों का पंजीकरण : नए वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फार्म नं0 20 भर कर पुलिस विभाग के जिला निरीक्षक द्वारा पासिंग करवाकर कार्यालय में चैक करवाने उपरान्त रोड टैक्स (Road Tax) जमा होगा। 40 रूपये की रसीद कटवाकर इसे घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) मिलने के बाद कार्यालय से परमिट प्राप्त करके वाहन पर नम्बर प्लेट लगवायें।

तालिका

क्र.सं.	दुपहिया वाहनों की किस्म	टैक्स की दर
1	20 हजार रूपये तक मूल्य का दुपहिया मोटर वाहन के मूल्य	2 प्रतिशत प्रति वाहन
2	20 हजार रूपये से अधिक तथा 60 हजार रूपये तक मूल्य का दुपहिया मोटर वाहन	4 प्रतिशत
3	60 हजार रूपये से अधिक तथा 2.00 लाख रूपये तक मूल्य का दुपहिया मोटर वाहन	6 प्रतिशत
4	2.00 लाख रूपये से अधिक मूल्य का दुपहिया वाहन	8 प्रतिशत

तालिका

क्र.सं.	वाहनों की किस्म	कर की दर
1	6.00 लाख रूपये तक मूल्य की कार	कार के मूल्य का 3 प्रतिशत
2	6.00 लाख रूपये से अधिक तथा 10.00 लाख तक मूल्य की कार	कार के मूल्य का 6 प्रतिशत
3	10.00 लाख रूपये से अधिक तथा 20.00 लाख तक मूल्य की कार	कार के मूल्य का 8 प्रतिशत
4	20.00 लाख रूपये से अधिक मूल्य की कार	कार के मूल्य का 9 प्रतिशत

जमीन सम्बन्धी ई- रजिस्ट्रेशन

हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जमीन सम्बन्धी क्रय-विक्रय के कार्य को सरल, सुगम व पारदर्शी बनाने के लिये राज्य में ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य 3 फरवरी, 2015 को शुरू किया जा चुका है। यह अपॉइन्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस) पर आधारित है। इसके माध्यम से लोगों को जमीन की रजिस्ट्री संबंधी कार्य करवाने के लिये इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री के लिये सबसे पहले आवेदनकर्ता को इस कार्य के लिए विशेष कक्ष में अपने आवेदन पत्र, परिचय पत्र, फोटो और 10 रूपये की रसीद के साथ अपने आवेदन के कागज जमा कराने होंगे। साथ ही लगते काउंटर पर रजिस्ट्री करवाने वाली पार्टी की हाजिरी होगी और वही पर क्रेता-विक्रेता व उनके गवाहों के फोटो खींचे जायेंगे। तहसीलदारों और कर्मचारियों को इस कार्य के लिये हर प्रकार से चुस्त-दुरूस्त करने पर बल दिया गया है ताकि आम जनता की कार्यालयों में निर्धारित समय सीमा अवधि के अन्दर अधिक से अधिक सुनवाई हो तथा उनके ज्यादा से ज्यादा काम जिला स्तर पर पूरे हो सके।

इसके बाद जमा करवाये गये कागजों की संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क के पास जांच पड़ताल करवाई जायेगी। इस कार्य को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जांच पड़ताल में अगर किसी दस्तावेज में कमी पायी जाती है तो क्रेता-विक्रेता को तुरन्त दूरभाष पर सूचित किया जाता है और कमी पूरी करवायी जाती है।

इसमें तत्काल रजिस्ट्री का भी प्रावधान रखा गया है। रजिस्ट्री के समय संबंधित सब रजिस्ट्रार/संयुक्त सब रजिस्ट्रार के साथ Group Photo होगी। तत्काल रजिस्ट्री के लिये 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक, 5 हजार रुपये, 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक 10 हजार रुपये और 1 करोड़ रुपये से उपर की राशि की रजिस्ट्री के लिये 20 हजार रुपये तत्काल फीस अलग से देनी होगी। रजिस्ट्री होने के बाद उसी दिन 3 बजे से सायं 5 बजे तक सभी दस्तावेज संबंधित को दे दिये जायेंगे।

इंतकाल के जल्द प्रावधान के लिये रजिस्ट्री के वक्त इंतकाल के लिए फीस उसी समय ले ली जाती है और प्रत्येक मास की 12 व 26 तारीख को इंतकाल कर दिया जाता है। इसमें आमजन को अपना इंतकाल करवाने के लिये पटवारी के यहां चक्कर नहीं लगाने पड़ते और भ्रष्टाचार पर भी अकुंश लगा है। तहसीलदार परिसर में लोगों की सुविधा के लिये बैठने की व्यवस्था की गयी है। आगन्तुकों को टोकन नम्बर देने और माईक में बोलकर जानकारी देने की व्यवस्था भी शुरू की गई है।

अधिक जानकारी के लिए देखें <https://edisha.gov.in/>

पुलिस विभाग

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु महिला हैल्प लाईन चलाई हुई है। जिसका टोल फ्री नम्बर 1091 है जिस पर किसी भी समय 24 घण्टे कोई भी पीडित महिला फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इस हैल्प लाइन पर महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जो किसी भी अपराध की सूचना मिलते ही तुरन्त मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करती है। महिला सैल का गठन किया हुआ है, राज्य के सभी जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना की जा चुकी है जिसमें महिला विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित मिलने वाली शिकायतों पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

महिला एवं बाल संरक्षण सैल

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अलग से महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की हुई है। जो महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में मिलने वाली शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करती है।

वरिष्ठ नागरिक सैल

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अलग से बुजुर्ग व्यक्तियों के लिये सैल बनाया हुआ है जिसमें एक उप-निरीक्षक की नियुक्ति की हुई है। जब भी कोई पीडित बुजुर्ग व्यक्ति कोई शिकायत लेकर आता है तो शीघ्र उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

अपराधों की रोकथाम

जब भी किसी पुलिस थाने/चौकी में कोई भी पीडित व्यक्ति सूचना देने के लिए आता है तो उसको प्यार से बैठाकर उसकी समस्या के बारे में पूछताछ की जाती है और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए जिला पुलिस में अलग से पी.सी. आर./राईडरों की नियुक्ति की हुई है, जिनको अलग-2 क्षेत्र दिए हुए हैं जो 24 घण्टे किसी भी समय कोई भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

चालान ब्रांच

मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये चालानों का भुगतान दी गई समयावधि में किया जाता है ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी न हो सके। समय-2 पर पुलिस पब्लिक सेमीनार आयोजित किये जाते हैं ताकि आम जनता पुलिस को अपना मित्र समझे।

अधिक जानकारी के लिए देखें <https://haryanapoliceonline.gov.in/>

कानूनी सेवाएं

सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विधिक सेवाओं के लिए मुफ्त कानूनी सेवाओं को न्याय प्रणाली में शामिल किया गया है। जरूरत मंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान किए बिना समान न्याय का सिद्धान्त अवास्तविक है। आर्थिक साधनों के अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए इसलिए निम्नलिखित वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

- अनुसूचित जातियां, जनजातियां और पिछड़े वर्गों के सदस्य
- मानव दुर्व्यवहार के शिकार लोग
- बेगार के शिकार व्यक्ति
- महिलाएं एवं बच्चे
- मानसिक रोगी एवं विकलांग
- सामूहिक विनाश से प्रभावित व्यक्ति जैसा कि जातीय हिंसा, बाढ़, भूकम्प औद्योगिक श्रमिक, कारागार व किशोर सुधार गृहों में बन्द व्यक्ति
- दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति
- भूतपूर्व सैनिक तथा ऐसे व्यक्तियों के परिवारों जो युद्ध में मारे गये हों,
- दंगा पीड़ित तथा आतंकवाद पीड़ित
- स्वतन्त्रता सेनानी
- वह सब वरिष्ठ नागरिक, जिनकी वार्षिक आय 1,50,000/- रूपये से कम है।

कानूनी सहायता के लिए प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति जो निशुल्क सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि मुकदमा:

- उच्च न्यायालय स्तर पर है तो प्रार्थना पत्र सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ को देना है।
- जिला स्तर पर है तो जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

- उपमण्डल स्तर पर है तो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी)/वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी एवं अध्यक्ष उप-मण्डल विधिक सेवा समिति।

इस प्रार्थना पत्र में, वह अपने साथ हुए अन्याय का संक्षिप्त विवरण या मुकदमे का संक्षिप्त विवरण, नाम, आय की सीमा इत्यादि का हवाला लिखे व इसके साथ अपनी वार्षिक आय के बारे में शपथ-पत्र संलग्न करें। अगर व्यक्ति पिछड़ी जाति या जनजाति या अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है तो उसका प्रमाण पत्र साथ लगायें। अगर व्यक्ति निशुल्क सहायता का पात्र पाया गया तो उसे निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। मुकदमें की पैरवी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वकील उपलब्ध कराया जाता है और वकील की फीस, गवाहों का खर्चा, कागजात का खर्च सभी दिया जाता है।

कानूनी सहायता केन्द्र

कानूनी सहायता केन्द्र कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का कार्य करता है। जिन अधिवक्ताओं को जिन्हें मध्यस्तता एवं सुलह की निपुणता है उन्हें इन केन्द्रों में सेवा देने के लिए चुना जाता है। इन सहायता केन्द्रों में ये अधिवक्ता पैनल उन पक्षों में हुए झगड़े की मध्यस्ता एवं सुलह से सुलझाने की कोशिश करते हैं जो भी पक्ष सहायता के लिए आग्रह करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी कानूनी समस्या पर सलाह लेना चाहता है वह इन सहायता केन्द्रों में उपस्थित अधिवक्ता पैनल से मिल सकता है। ये अधिवक्ता पैनल जरूरतमन्द व्यक्ति के आग्रह पर, सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले प्रार्थना पत्र तैयार करने में मदद में भी करते हैं।

हरियाणा राज्य के प्रत्येक न्यायिक परिसर में ऐसे कानूनी सहायता केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। ऐसे ही सहायता केन्द्र हरियाणा की प्रत्येक जेल व हरियाणा के प्रत्येक सुरक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में भी स्थापित किये जा चुके हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें <https://hslsa.nic.in/>

मुख्यमंत्री खिड़की (सीएम विन्डो)

हरियाणा सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिये प्रत्येक जिले में सीएम विन्डो स्थापित की गयी है। इसका शुभारम्भ 25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य संबंधित मुख्य अधिकारी के पास या मुख्यालय जाए बिना, लोगो की समस्याओ का निपटारा जिला मुख्यालय पर ही किया जायेगा। इस खिड़की के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहता है, वह भी दे सकता है। इस खिड़की पर आम जनता अपनी शिकायत को मोबाईल नम्बर के साथ दर्ज करा सकती हैं। इस मोबाइल पर उन्हें एक सूचना संदेश (एस.एम.एस.) के माध्यम से उस शिकायत का रजिस्ट्रेशन नम्बर मिल जायेगा। हर समस्या का समाधान उस शिकायत की दर्ज तिथि से 30 दिन के अन्दर होना संभव है व समय पर अगर शिकायत का समाधान नही किया जाता है तो इस मामले को सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाता है।

आप अपनी समस्या निम्नलिखित स्थानों मे से किसी एक पर दे सकते है।

1. जिला मुख्यालय पर उपायुक्त कार्यालय (डी सी ऑफिस) में CM Window पर।
2. मंत्रियों के कार्यालय में ।
3. मुख्यमंत्री आवास अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय चौथी मंजिल, हरियाणा सचिवालय, सैक्टर-1 चण्डीगढ़- 160001 में।

अधिक जानकारी के लिए देखें [https:// cmharyanacell.nic.in/](https://cmharyanacell.nic.in/)

पर्यावरण संरक्षण

भूमिका

विकास की आधुनिक दौड़ में पर्यावरण संकट सबसे बड़ी चुनौती है। पर्यावरण की अनदेखी करने से आज शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा की कमी व वन्य जीव-जन्तु विलुप्त हो रहे हैं। टिकाऊ विकास आज के युग की आवश्यकता है तथा पर्यावरण संतुलन भी उतना ही जरूरी है। परन्तु निम्नलिखित ऐसे कारण हैं जिनसे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।

- बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई, भूमिगत जल का अत्याधिक दोहन और जमीन का सघन उपयोग।
- कृषि में कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग।
- फसलों के अवशेष को जलाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का बढ़ना।
- ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन व्यवस्थाओं की कमी एवं मानवीय अवशिष्ट (खुले में शौच करना)।
- मनुष्य का व्यवहार (उपभोक्तावाद एवं आधुनिक जीव शैली)
- वायु व ध्वनि प्रदूषण।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर मानव मल, घरों में से निकलने वाला कचरा व गन्दा पानी, चारे एवं फसलों के अवशेष, गोबर का सही प्रकार से प्रबंधन न होना पर्यावरण प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि जल स्रोत भी संक्रमित हो जाते हैं जिसका मानव के शारीरिक व मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

मानव मल

खुले में शौच जाना पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। घरों में सस्ते स्वच्छ शौचालय बनाकर उनका प्रयोग कर खुले में शौच बन्द करने से स्थिति में सुधार हो सकता है।

ठोस एवं तरल कचरा

ठोस कचरा घर की रसोई, पशुओं के चारे के अवशेष व अन्य प्रकार की रोजमर्रा की वस्तुओं के प्रयोग से निकलता है। यह गलनशील एवं अगलनशील दो प्रकार का होता है। गलनशील कचरे एवं गोबर से केंचुए की खाद बनाई जा सकती है एवं फसल अवशेष खेतों में खाद बनाने में काम आ सकते हैं। इसका घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर सुरक्षित तरीके से प्रबंध किया जा सकता है और पंचायतें आय पैदा कर सकती हैं।

गन्दा पानी दो प्रकार का होता है। जो पानी रसोई, स्नानघर, पशु मूत्र इत्यादि को ग्रे-वाटर कहा जाता है। यदि इसमें शौचालय का पानी सम्मिलित हो जाए तो इसे ब्लैक-वाटर कहा जाता है। इसका घरेलू स्तर पर सोखता गद्दे बनाकर एवं सामुदायिक स्तर कम लागत वाली गली-नालियां व उपलब्ध जगह के अनुसार 3-5 पोण्ड सिस्टम बनाकर प्रबन्ध किया जा सकता है।

फसलों के अवशेष

आजकल फसलों के अवशेष जलाने की प्रथा काफी प्रबल है जिससे न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि भूमि के आवश्यक कीटमित्र एवं पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। अतः अवशेषों को जलाने के बजाय उनका खाद इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाना चाहिए। हैप्पीसीडर या अन्य किसी विधि द्वारा सीधी रोपाई अथवा बिजाई करके अवशेषों को जलने से बचाया जा सकता है।

कीटनाशकों का प्रयोग

फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग से वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। किसान जैविक खाद व एकीकृत कीट प्रबन्धन अपनाकर इनका प्रयोग कम कर सकते हैं। इनमें नीम केक एवं बायोपैस्टीसाईडस शामिल हैं।

भूमिगत जल का अधिक दोहन व जल विनाश

हरियाणा के लगभग सभी जिलों में भू-जलस्तर में भारी गिरावट आ चुकी है तथा पानी की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। वर्तमान फसल चक्र को बदलकर भूजल के प्रयोग में कमी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्षा के जल का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर संचय किया जा सकता है। बरसात के दिनों में छत के पानी को भी इकट्ठा किया जा सकता है। इसका एक तरीका पानी की अनावश्यक बर्बादी को रोकना भी है। गावों में अनावश्यक रूप से कुण्डी कनेक्शन के साथ जो सबमर्सीबल लग चुके हैं उन्हें रोकना एवं भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से बचकर पानी को बचाया जा सकता है।

पेड़ों की कटाई

आमतौर पर किसानों द्वारा खेतों में पेड़ों की कटाई कर दी गई है। जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हुआ है बल्कि वन्य प्राणियों की संख्या में भी कमी आई है जिससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हुआ है। आज के समय हरियाणा का कुल वन क्षेत्र तीन प्रतिशत से कम हो जोकि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। अतः यह जरूरी है कि जहां भी जगह उपलब्ध हो चाहे घर में चाहे खेत में चाहे सामुदायिक स्थान पर अधिक से अधिक स्थानीय किस्म के पेड़ लगाकर उन्हें पालना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।

पर्यावरण एवं पंचायत की भूमिका

73वें संविधान संशोधन के अनुसार पर्यावरण संरक्षण पंचायतों की जिम्मेवारी है। पंचायतें अपने क्षेत्र में खुले में शौच पर प्रतिबन्ध लगाकर, कूड़े-कचरे का प्रबन्ध कर, पौधारोपण कर, गांव में लोगों को पानी बर्बाद होने से रोकने, फसलों के अवशेष जलाने के नुकसान बारे, कीटनाशकों का कम प्रयोग करने बारे, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने बारे जागृति पैदा कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए देखें [https:// harenvironment.gov.in/](https://harenvironment.gov.in/)

आपदा प्रबन्धन

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानव व अन्य कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, घनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो।

आपदा दो प्रकार की हो सकती है

- **प्राकृतिक आपदा:-** वह आपदा जिसका उदगम प्राकृतिक हो जैसे भूकम्प, ज्वालामुखी, विस्फोट, सूनामी लहरें, भूस्खलन, बाढ़, अकाल तथा आग लगना सामाजिक-प्राकृतिक संकट है क्योंकि वे प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों कारणों से होता है।
- **मानव जनित आपदा:-** यह प्रायः उद्योग धंधो तथा कारखानों से संबंधित होता है जिसमें विस्फोट, जहरीले पदार्थों का रिसाव, प्रदूषण तथा बांधों का टूट जाना शामिल है। युद्ध और गृह युद्ध भी इसी क्षेणी में आते हैं।

प्रदेश में आपदा सम्बन्धी खतरे

हरियाणा प्रदेश विभिन्न प्रकार की आपदाओं से संवेदनशील है। हरियाणा राज्य भूकम्प, विभिन्न प्रकार के रासायनिक व औद्योगिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, आग, दुर्घटना, ओलावृष्टि, स्वास्थ्य संबंधी व जैविक आतंकवाद के प्रति संवेदनशील है। यद्यपि आपदा के समय लोगों की मदद करना सरकार का कर्तव्य है इसके साथ लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो सरकार की मदद करें। पंचायती राज संस्थाएं सामान्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी करने में सबसे उपयोगी हैं। पंचायती राज संस्थाएं आपदा प्रबंधन के सभी स्तरों पर अपना अहम योगदान दे सकती हैं जैसे कि गांव के लोगों में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में जानकारी दे सकती हैं। उदाहरण के तौर पर खेतों में व्यापक स्तर पर फसलों के अवशेष जलाना भी एक आपदा है और इसे पंचायतें लोगों में जागृति पैदा कर या उदाहरण के रूप में दण्डित कर इस पर नियन्त्रण पा सकती हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित विभिन्न एजेन्सियों के पदाधिकारियों के फोन नम्बर इत्यादि होना बहुत जरूरी है और इस प्रकार की जानकारी आम स्थान पर भी लिखी जानी चाहिए ताकि आम जनता को उसकी जानकारी रहे। सूखा व बाढ़ इत्यादि जैसी स्थिति से बचने के लिए ग्राम पंचायत के पास एक योजना होना जरूरी है। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर एक ग्रामीण आपदा प्रबन्धन समिति का गठन कर सकती है। पंचायतें आपदा से बचाव एवं होने की स्थिति एवं पुर्ननिर्माण हेतु अपनी योजना बना सकती है।

अधिक जानकारी के लिए देखें <https://revenueharyana.gov.in/>

स्वच्छता से समृद्धि



एक कदम स्वच्छता की ओर



Pradhan Mantri
Suraksha Bima Yojana

 Pradhan Mantri
Jeevan Jyoti Bima Yojana



पंचायतों की प्रगति, हरियाणा की प्रगति